सम्पादक

डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

सहायक

मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय

मासिक सच्चा राही

पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
फोन : 0522–2740406
E-mail : tameer1963@gmail.com
nadwa@bsnl.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 30/-
वार्षिक	₹ 300/-
विदेशों में (वार्षिक) 50 यु.एस. डॉलर	

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग
लखनऊ–226007

सच्चा राही
A/c. No. 10863759642 (Current A/c.)
IFS Code: SBIN0000125
Swift Code: SBINNB157
State Bank of India,
Main Branch, Lucknow.
कृप्या पैसा जमा करने के बाद दफ़्तर के फोन नं0 0522–2740406 अथवा ईमेल: tameer1963@gmail.com पर खरीदारी नम्बर के साथ अवश्य सूचित करें।

हिन्दी मासिक

सच्चा राही

सामाजिक एवं साहित्यिक — लखनऊ

दिसम्बर, 2018 वर्ष 17 अंक 10

ख़ुदा के वली

खुदा के बहुत ऐसे बन्दे हैं होते
ख़ुदा के लिए हैं वो हर काम करते
तिजारत करें या ज़िराअ़त करें वो
करें काम उजरत पे या नौकरी वो
दियानत है हर काम में उनके दिखती
ख़ुदा उन से राज़ी रहे, फ़िक्र रहती
अदा वो फराइज़ हैं करते हमेशा
नबी की वह सुन्नत पे चलते हमेशा
वो ख़ल्क़े ख़ुदा की ख़िदमत भी करते
वह ख़ौफ़े ख़ुदा से गुनाहों से बचते
नबी पर वो पढ़ते दुरूदो सलाम
वो यादे ख़ुदा में हैं रहते मुदाम
वह अपने ख़ुदा के हैं महबूब बन्दे
ख़ुदा के वली हैं यह मक़बूल बन्दे

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा ख़त्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। आप अपना पैसा दिये गये बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं। अथवा मनीआर्डर से भी भेज सकते हैं। मनीआर्डर के कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें।

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।
Designing & Editing by: Qamaruzzama-9452295052

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा.................................मौ0 बिलाल अब्दुल हयी हसनी नदवी 05

प्यारे नबी की प्यारी बातें ....अमतुल्लाह तस्नीम 07

पाप और अपराध................................डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी 08

इस्लाम के तीन बुन्यादी अक़ायद ....हज़रत मौ0 अबुल हसन अली नदवी रह0 11

आदर्श शासक......................................मौलाना अब्दुस्सलाम क़िदवाई नदवी 14

कातिबे वही हज़रत मुअ़विया..............हज़रत मौ0 अबुल हसन अली नदवी रह0 17

आत्म विश्वास की आवश्यकता ....मौलाना डॉ0 सईदुर्रहमान आज़मी नदवी 22

आपके प्रश्नों के उत्तर.......................मुफ़्ती ज़फ़र आलम नदवी 26

तलाक़ औरत पर अत्याचार नहीं......मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी 30

जंगे सिफ़्फ़ीन......................................इदारा 35

सद्रे तुर्किस्तान...................................मौलाना सय्यिद इनायतुल्लाह नदवी 36

उर्दू शब्द हिन्दी में ....इदारा 39

अपील बराए तामीर............................इदारा 41

उर्दू सीखिए...इदारा 42

क़ुरआन की शिक्षा

–मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़यी हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-माइदाः

अनुवाद–

ऐ ईमान वालो! यहूदियों और ईसाईयों को मित्र मत बनाओ वे एक दूसरे के मित्र हैं और तुम में जो उनको मित्र बनाएगा तो वह उन्हीं में गिना जाएगा, बेशक अल्लाह ना इन्साफ़ी करने वालों को रास्ता नहीं दिखाता(51) बस आप उन लोगों को देखेंगे जिनके दिलों में रोग है वे तेज़ी के साथ उन्हीं में मिले जाते हैं, कहते हैं कि हमें डर है कि हम किसी मुसीबत में न घिर जाएं तो वह दिन दूर नहीं कि अल्लाह मुसलमानों को विजय प्रदान कर दे या अपने पास से कोई ख़ास आदेश भेज दे फिर उन्होंने जो अपने दिलों में छिपा रखा है उस पर उनको पछतावा हो[1](52) और ईमान वाले कहेंगे क्या वे वही लोग हैं जो बड़े ज़ोर–शोर से क़समें खाया करते थे कि हम तो तुम्हारे ही साथ हैं, उनके सब काम बेकार गए फिर वे नुक़सान उठा गए(53) ऐ ईमान वालो! तुम में जो भी अपने दीन से फिरेगा तो अल्लाह आगे एक ऐसी क़ौम ले आएगा जिनसे वह प्यार करता होगा और वे उस से प्रेम करते होंगे, ईमान वालों के लिए बहुत ही नर्म और इनकार करने वालों के लिए कठोर होंगे, अल्लाह के रास्ते में वे जान खपाते होंगे और किसी निन्दा करने वाले की निन्दा का भय न होगा, यह अल्लाह का फ़ज़्ल है वह जिसे चाहे प्रदान करे और अल्लाह बड़ी गुंजाइश वाला ख़ूब जानने वाला है(54) तुम्हारा मित्र तो अल्लाह है और उसका पैग़म्बर है और वे लोग हैं जो ईमान लाते हैं और नमाज़ क़ायम रखते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वे खुशूअ़ रखने वाले लोग हैं(55) और जो भी अल्लाह और उसके पैग़म्बर और ईमान वालों से दोस्ती रखेगा तो ग़ालिब (प्रभावी) होने वाला तो अल्लाह ही का गिरोह है[2](56) ऐ ईमान वालो! जिन लोगों को तुमसे पहले किताब मिली उनमें जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है उनको और काफ़िरों को तुम मित्र मत बनाना और अल्लाह से डरते रहना अगर तुम ईमान रखते हो(57) और तुम नमाज़ के लिए पुकारते हो तो वे उसको मज़ाक़ और खेल बनाते हैं, यह इसलिए है कि वे बिना बुद्धि के लोग हैं(58) आप

कह दीजिए ऐ अहल–ए–किताब क्या तुम को हम से केवल इसलिए बैर है कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो हमारे लिए उतरा और जो पहले उतर चुका जबकि तुम में अधिकतर नाफ़रमान हैं(59) क्या मैं तुम्हें यह न बता दूं कि अल्लाह के यहां उससे बढ़ कर किस की बुरी सज़ा है, यह वे लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और उन पर गुस्सा हुआ उनमें उसने बन्दर और सुअर बना दिए और जो तागूत (शैतान) के बन्दे बने वे परले दर्जे के लोग हैं और सीधे रास्ते से बिल्कुल ही भटके हुए हैं(60) और जब वे तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए जब कि वे कुफ़्र के साथ ही निकल गए और वे जो छिपाते हैं अल्लाह उसको ख़ूब जानता है[3](61) उनमें से बहुतों को आप देखेंगे कि वे पाप पर, सरकशी पर और ह़राम खाने पर लपकते हैं, कैसी बुरी उनकी करतूत है(62) संत (दुरवेश) और उलमा उनको गुनाह की बात कहने और ह़राम खाने से क्यों नहीं रोकते कैसा बुरा तरीक़ा उन्होंने अपना रखा है[4](63)।

तफ़्सीर (व्याख्या):–

1. यह मुनाफ़िक़ों और कमज़ोर अक़ीदा (विश्वास) रखने वालों का उल्लेख है कि ये यहूदियों व ईसाईयों से भी दोस्ती रखते थे इस डर से कि अगर मुसलमान हार गए तो वे उनके काम आएंगे, अल्लाह कहता है कि हो सकता है मुसलमानों की जीत निकट हो और अल्लाह की ओर से विशेष आदेश आने वाला हो तब तो इन मुनाफ़िक़ों के केवल पछतावा हाथ आएगा, मक्का विजय के अवसर पर पूरी तरह यह वास्तविकता सामने आ गई।

2. बात साफ़ कर दी गई कि अस्ल ईमान वालों से संबंध है, अल्लाह का फ़ैसला उस दीन और दीन वालों की हिफ़ाज़त का है जो इसमें मज़बूती के साथ रहेगा उसको किसी का भय और परवाह न होगी, वही सफल होगा।

3. अहल–ए–किताब और मुश्रिकों की दोस्ती से मना किया गया था अब स्पष्ट रूप से उसकी ख़राबियां बयान की जा रही हैं और ईमान वालों के ईमानी स्वाभिमान को जागृत किया जा रहा है क्या तुम ऐसे लोगों से दोस्ती करोगे जो अ़ज़ाब के अधिकारी हो चुके और वे परले दर्जे के लोग हैं फिर मुनाफ़िक़ों का हाल बयान हुआ कि वे आकर अपने ईमान का प्रदर्शन करते हैं जबकि वे कुफ़्र के साथ ही आए और कुफ़्र के साथ ही निकल गए और उनके दिल के हाल को अल्लाह ख़ूब जानता है।

4. वे बुराईयों के दलदल में फंसते जा रहे हैं और उलमा और अल्लाह वालों का हाल यह है कि वे गूंगे हो गए हैं इसलिए कि उनके मामलात जनता से संबन्धित हैं सही बात कहना उनके लिए कठिन है यह यहूदियों का हाल था और इसमें इस उम्मत को भी चेताया जा रहा है।

–प्रस्तुति–

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तस्नीम

नफ़्स को खबीस कहने की मुमानियतः–

हज़रत आयशा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया तुम लोग अपने नफ़्स को खबीस न कहा करो, और कहना हो तो यह कहा करो कि मेरा नफ़्स काहिल और सुस्त हो गया है। (बुखारी–मुस्लिम)

अंगूर को ''कर्म'' कहने की मुमानियतः–

''कर्म'' यह शुद्ध अरबी का शब्द है जिसके माने अंगूर के बेल, और शराब के हैं इसी दूसरे माने के मुराद लेने से रोका गया है।

(प्रस्तुतकर्ता)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अंगूर का नाम ''कर्म'' मत रखो, कर्म मुसलमान के लिए मुनासिब है।

(बुखारी–मुस्लिम)

एक रिवायत में है कि ''कर्म'' मोमिन का दिल है। और बुखारी व मुस्लिम की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते थे कि ''कर्म'' मोमिन का दिल है।

हज़रत वायल बिन हुज्र रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया अंगूर को ''कर्म'' न कहो, हां ''इनब'' और ''हब्ला'' कह सकते हो। (मुस्लिम)

किसी अन्य औरत की तारीफ अपने शौहर से बयान करने की मुमानियतः–

हज़रत इब्ने मस्ऊद रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कोई औरत अपने शौहर के सामने किसी औरत की शक्ल सूरत का ऐसा नक्शा न खींचे और ऐसी तारीफ न करे कि गोया वह देख रहा है।

(बुखारी–मुस्लिम)

ऐसा सवाल करने की मुमानियत कि "अल्लाह अगर तू चाहे तो दे दे'':–

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया इस प्रकार खुदा से हरगिज न मांगा करो कि ऐ अल्लाह अगर तू चाहे तो बख्श दे, "ऐ अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझ पर रहम फरमा'' तुम को पुख़्तगी के साथ दुआ करना चाहिए, अल्लाह को कोई चीज़ बड़ी मालूम नहीं होती। (बुखारी–मुस्लिम)

मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि पुख्तगी और रुचि के साथ सवाल करना चाहिए, अल्लाह जो कुछ देता है उस पर पछताता नहीं है।

हज़रत अनस रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जब तुम दुआ करो

शेष पृष्ठ....25 पर

पाप और अपराध

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

अल्लाह तआला की अवज्ञा को पाप कहते हैं तथा सामाजिक अथवा शासकीय विधान के विरुध किये जाने वाले कार्य को अपराध कहते हैं।

अल्लाह तआ़ला (ईश्वर महान) ने अपने आदेश अपने नबियों द्वारा बन्दों को भेजे हैं, यह नबी हर काल में तथा हर क़ौम में आए, जिन लोगों ने अपने काल के नबी की अवज्ञा की उन्होंने पाप किया, और अन्त में अल्लाह ने अपने अन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को रहती दुन्या तक के लिए तथा सारे संसार के लोगों के लिए भेजा अतः अब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अवज्ञा समस्त मनुष्यों के लिए पाप है। सिवाय इसके कि जिन को अन्तिम नबी का संदेश और अन्तिम नबी की शिक्षाएं न पहुंची हों।

पाप करने पर मनुष्य दण्डित होगा यह दण्ड उसको आख़िरत के जीवन में मिलेगा, परन्तु कुछ पाप ऐसे हैं जिनका समबन्ध दूसरे मनुष्यों से भी है उनकी सज़ा इस संसार में भी रखी गई है, और आख़िरत में भी, ऐसे पाप अपराध की श्रेणी में भी आते हैं जैसे किसी को धोखा देना, किसी का माल चुरा लेना या लूट लेना, किसी को गाली देना, किसी को मारना पीटना उस का वध कर देना, दुष्कर्म करना आदि, ऐसे पापों पर अल्लाह के आदेश से अन्तिम नबी ने भी दण्ड नियुक्त किया है और शासन की ओर से भी दण्ड का प्रावधान है, अतः यदि शासन इस्लामिक है तो ऐसे में पापी को शरई दण्ड दिया जाएगा लेकिन अगर शासन मानवीय विधान वाला है तो शासन दण्डित करेगा।

ऐसे पाप जिन का सम्बन्ध दूसरे लोगों से नहीं है उनकी सज़ा आख़िरत में दी जाएगी जहन्नम की आग में जलाया जाएगा (ख़ुदा की शरण जहन्नम से) लेकिन अगर ऐसे पाप जिनका संबंध बन्दों से नहीं है पापी यदि अल्लाह से सच्ची तौबा (पश्चाताप) करेगा तो क्षमा की पूरी आशा है।

जैसे मदिरा पीना, या जुआ खेलना है, नाच बाजा देखना सुन्ना है, या स्वयं नाचना और गन्दे गाने गाना या हराम मास खा लेना है, या शिर्क कर लेना है, अर्थात एक अल्लाह के अतिरिक्त किसी और को सज्दा कर लेना, उससे दुआ मांगना, उसको अल्लाह का साझी ठहराना आदि, या कुफ़्र करना (नास्तिक हो जाना) आदि। ऐसे गुनाहों पर यदि पापी अपने पालन हार से सच्ची तौबा करेगा तो आख़िरत के दण्ड से बचा

लिया जाएगा लेकिन यदि तौबा किये बिना मर गया तो उस गुनाह की सज़ा जहन्नम में भुगतने के पश्चात जहन्नम से निकाला जाएगा, यह भी हो सकता है कि वह अन्तिम नबी या किसी नबी, या किसी अल्लाह के प्रिय बन्दे की सिफ़ारिश से या बचपन में मौत पाए छोटे बच्चे की सिफ़ारिश से जहन्नम की सज़ा से बचा लिया जाएगा परन्तु शिर्क और कुफ़्र ऐसे पाप हैं कि जिन की सिफ़ारिश नहीं हो सकती न इनकी सज़ा ख़त्म होगी।

शिर्क करने वाला और कुफ़्र करने वाला सदैव जहन्नम में रहेगा। कुछ पाप ऐसे हैं जिन का संबंध दूसरे बन्दों से नहीं है वह केवल अल्लाह की अवज्ञा में आते हैं परन्तु उनकी तौबा में कुछ विस्तार है जैसे किसी ने फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ीं, या माल की ज़कात नहीं दी या हज़ फ़र्ज़ हुआ परन्तु अदा नहीं किया इन गुनाहों की तौबा को खूब समझ लेना चाहिए।

फ़र्ज़ नमाज़ छोड़ी है तो केवल तौबा से मुआफ़ न होगी छूटी हुई नमाज़ें पढ़ी जाएं और क्षमा भी चाही जाए, यदि रोग अथवा बुढ़ापे के कारण उन को अदा नहीं कर पा रहा है तो बराबर तौबा करता रहे और अल्लाह से क्षमा की उम्मीद रखे।

ज़कात फर्ज हुई और अदा नहीं की तो केवल तौबा से क्षमा न मिलेगी हिसाब लगा कर उसको अदा करे और तौबा भी करे अल्बत्ता यदि अब वह फ़क़ीर हो गया है तो अल्लाह तआला से रो रो कर गिड़ गिड़ा कर क्षमा मांगता रहे और क्षमा की उम्मीद रखे, इसी प्रकार यदि हज फर्ज़ हुआ परन्तु उसने हज़ नहीं किया तो अब केवल तौबा से इस पाप की क्षमा न मिल सकेगी सामर्थ्य है तो स्वयं हज अदा करे, शारीरिक विवशता हो तो हज्जे बदल करवाए और क्षमा भी मांगे लेकिन अगर फ़क़ीर हो गया हो तो अल्लाह तआला से रो रो कर गिड़ गिड़ा कर क्षमा मांगता रहे और क्षमा की आशा रखे। यदि पाप दूसरे बंदों से संबंधित हो तो जिस का हक़ मारा है उसको अदा करे या उससे क्षमा मांगे और वह क्षमा कर दे फिर अल्लाह से तौबा भी करे तो मुआफ़ी की उम्मीद है।

कुछ पाप ऐसे हैं जिन का सम्बंध दूसरों से है परन्तु वह ग़ैर मुस्लिम शासन के क़ानून में अपराध नहीं है जैसे किसी मर्द या औरत को उजरत दे कर या उसको राज़ी करके उसको नचवाना और उसका नाच देखना, या उससे गन्दे गाने सुन्ना या नामहरम मर्द औरत से मित्रता करना, और साथ में घूमना फिरना, फिल्म देखना आदि, इन सब पापों पर सच्ची क्षमा चाहने पर क्षमा की उम्मीद है।

अपराधः–

समाज में अनुशासन बाक़ी रखने तथा समाज में शान्ति रखने के लिए शासन क़ानून बनाता है, अतः हर नागरिक का कर्तव्य है कि शासन के हर क़ानून का पालन करे ताकि वह स्वयं शान्ति से रहे तथा समाज में

भी शान्ति रहे। क़ानून का उल्लंघन ही अपराध है। वैसे लगभग हर अपराध पाप भी है, अपराध से बचने में जहां समाज में अनुशासन रहेगा वहीं अल्लाह की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी और सवाब मिलेगा।

कुछ अपराध ऐसे हैं जो पाप नहीं हैं जैसे बिना लाइसेंस पिस्टल या गन बनाना या बिना लाइसेंस के हथियार रखना, या बिना लाइसेंस के और शुल्क दिये बिना दो पहिए या चार पहिये वाला वाहन रखना, या आय कर न देना या जिन वस्तुओं पर सरकारी कर है वह कर छुपा लेना या जिन कारोबारों में पंजीकरण आवश्यक है पंजीकरण के बिना वह कारोबार करना आदि। यह ऐसे अपराधा हैं जो पापों (गुनाहों) की श्रेणी में नहीं आते परन्तु समाज में शान्ति बाकी रखने और शासन को कुशासन से बचाने के लिए हर मुसलमान का कर्तव्य है कि इन अपराधों को पाप ही समझते हुए इन अपराधों से पूरी तरह बचें।

कुछ अपराध ऐसे हैं जो विवशता के कारण किये जाते हैं जिनके बयान करने में भी भय लगता है कि कोई मांग कर सकता है कि इनको सिद्ध करो और उनको सिद्ध करना हमारे लिए असंभव है परन्तु यहां उनकी ओर भी संकेत आवश्यक लग रहा है। यह जो भांति भांति की लाभदायक योजनाएं हैं जिन में जनता को वित्तीय लाभ मिलता है परन्तु उनके सत्यापन के लिए लेखपाल या प्रधान या संबंधित जिम्मेदारों की आवश्यकता होती है क्या यह लोग सरलता से बिना कुछ लिये अपनी रिपोर्ट लगा देते हैं? कदापि नहीं।

पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया जाता है, पुलिस की जांच आती है क्या यह जांच रिपोर्ट मुफ़्त में हो जाती है कदापि नहीं। इन सूरतों में जो कुछ देना पड़ता है वह कानून में अपराध है परन्तु इनमें बन्दा जो घूस विवश हो कर प्रस्तुत करता है उसमें वह पापी नहीं होता।

करोड़ों के घूस कभी कभी तो शासन की पकड़ में आ जाते हैं परन्तु हज़ारों वाले घूस जो विवश हो कर देने पड़ते हैं वह कभी पकड़ में नहीं आते अपितु ऐसे घूसों को पकड़ने वाले स्वयं घूस ले लेते हैं अतः यह घूस यद्यपि अपराध हैं परन्तु विवश अपराधी के हक़ में पाप नहीं हैं। यद्यपि शासन ऐसे अपराधियों को पकड़ नहीं पाता परन्तु अल्लाह से कुछ छुपा नहीं है वह ऐसी विवशताओं को अवश्य क्षमा करेगा।

मुसलमानों के लिए इसकी गुंजाइश है कि वह अपना हक़ घूस दिये बिना ना पा सकें तो घूस दे कर अपना हक़ ले लें ऐसी मजबूरी में घूस देना यद्यपि अपराध है परन्तु इनशाअल्लाह वह पापी न होंगे। यह वह हालत है कि इसमें हुकूमत भी मदद नहीं कर सकती यहां यह याद रहे कि इस्लामिक शिक्षाओं में घूस देने वाला और घूस लेने वाला दोनों जहन्नम की सज़ा पाएंगे परन्तु अपना हक़ पाने के लिए विवश हो कर

शेष पृष्ठ....13 पर

इस्लाम के तीन बुन्यादी अक़ायद

—हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी (रह0) — अनुवादकः मुहम्मद हसन अंसारी

रिसालत (दूतता)

रसूल के आ जाने के बाद इन्कार की गुंजाइश नहीं:—

इसी प्रकार वह्ई व रिसालत की शिक्षाओं से मुंह फेरना या विमुख हो जाना अथवा उनसे अनभिज्ञता का लाजिमी नतीजा यह है कि इस जीवन की परिकल्पना शुद्ध भौतिकवादी और इन्सान के अपने बारे में दृष्टिकोण सर्वथा हैवानी हो कर रह जाये। क्योंकि इनसान के पास अपने तौर पर जितने मालूमात के साधन हैं वह इसके अलावा और कोई सूचना नहीं देते। इनसे इस ज़िन्दगी के अलावा इन्सान की किसी और ज़िन्दगी का पता चलता, और कोई हक़ीक़त इसके अलावा समझ में नहीं आती कि वह एक ''बोलने वाला जानवर'' (हैवाने नातिक) है। यह अक़ीदा और स्वीकारोक्ति स्वभाविक रूप से इन्सान को हैवानियत के उस मक़ाम पर पहुंचा देता है, जहां शारीरिक स्वाद व दुख के एहसास के अलावा तथा कोई नैतिक सूझ और स्वार्थ व लाभ की पूजा के अलावा कोई मज़हब व दर्शनशास्त्र नहीं रहता।

नबूवत (दूतकर्म) ही इन्सान को अपनी बरतरी व शराफ़त और इन्सानियत का शऊर प्रदान करती है और इसके साथ यह समझ भी पैदा करती है कि वह एक महाशक्ति के अधीन है, उसके सामने अपने तमाम कर्मों व आचरण के लिए उत्तरदायी है। यह संसार उसी की सल्तनत और इस दुन्या के रहने वाले उसी के बन्दे हैं। वह इस सल्तनत में दखल देने और इस दुन्या में रहने वालों के साथ मामला करने में आज़ाद नहीं है।

फिर नबूवत सिर्फ नैतिक अनुभूत को जगाने पर बस नहीं करती बल्की इन्सान को एक व्यवस्था पत्र तथा पूर्ण नैतिक नियमावली देती है। अच्छे आचरण पर उससे खुदा की प्रसन्नता और उसकी खुशनूदी के महल व मक़ाम का वादा करती है जिससे बेहतर कर्म के लिए कोई उत्प्रेरक (मोटीवेटर) साबित नहीं हुआ। अनाचार तथा कानून तोड़ने पर उसके अ़ज़ाब और कहर से डराती है जिससे अधिक कामयाब रोक दुन्या में मौजूद नहीं। खुदा के हाजिर (सर्वव्यापी) व नाजिर, (सर्वदृष्टा) सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला, गैब की ख़बर रखने वाला होने का यक़ीन उसके मन—मस्तिष्क में बिठा देती है। जिससे बढ़ कर इन्सान को कन्ट्रोल में रखने वाली कोई नैतिक शक्ति आज तक खोजी नहीं जा सकी। यह ताक़त है जो इन्सान को अकेले व दुकेले, बस्ती और

वीराने क़ानून का पाबन्द बनाती है जो पुलिस और फ़ौज की ताक़त के बिना बड़े–बड़े जुर्म और सदियों की बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ देती है जो ज़बान के एक इशारे से पूरी–पूरी क़ौम से मुंह लगी शराब छुड़ा देती है जो अपराधियों को बस्ती और वीरानों से खींच कर अदालत में हाजिर करती है और उनकी ज़बान से अपने जुर्म को इक़बाल कराती है।

जिस नैतिक व्यवस्था के पीछे नबूवत की यह ताक़त न हो वह सिर्फ किताबी फलस्फा (पुस्तकीय दर्शन) है जो एक मामूली से जुर्म को भी नहीं रोक सकता और अत्यन्त सीमित क्षेत्रफल में भी कोई पवित्र नैतिक माहौल नहीं पैदा कर सकता।

जो सभ्यता इस आसमानी आचार संहिता से वंचित हो, और जिस क़ौम की कोख इस धार्मिक आत्मा से खाली हो, वह दुन्या ही में जहन्नम (नर्क) के गढ़े के किनारे खड़ी है। उसका भौतिक व ज्ञानमयी विकास, कला कौशल व राजनीति पर उसकी विजय, सृष्टि पर उसकी जीत, उसका बाह्य शिष्टाचार, उसके कला कौशल कोई चीज़ उसको इस गड्ढ़े में गिरने से रोक नहीं सकती, बल्कि यह सब चीजें मिलकर उसके गिरने की रफ़्तार को और तेज कर देंगी। जो क़ौम वह्‌ह (ईशवाणी) की रक्षा और नबियों की सुरक्षा से वंचित हो उसके यही ज्ञान व शिष्टाचार (जो नबियों के मार्गदर्शन के बगैर जन्म लेते हैं, और जिनकी ख़मीर ख़ुदा को पहचानने वाला और पवित्र नहीं है) उसके नैतिक पतन में सहायक तथा उसके सक्रिय कार्यकर्ता बन जाते हैं और अभद्रता के प्रचार–प्रसार में, बेहयाई और अनाचार व दुर्व्यवहार को फैलाने में, सभ्यता व लज्जा के पुराने दृष्टिकोण को बदलने और उसको दोषमुक्त करार देने तथा अपराध व अभद्रताओं को आकर्षक करने में, शैतान के एजेन्ट की हैसियत से काम करते हैं, यूनान व रोम तथा आधुनिक योरोप का सामूहिक नैतिक व साहित्यिक इतिहास इसका गवाह है।

इन्सान की आज़ादी की इस राह में क़ानून भारी पत्थर साबित हो सकता था मगर उसको इन्सान ने अपने रास्ते से इस तरह हटा दिया कि वह खुद कानून बनाने वाला बन गया। जब क़ानून का स्रोत आसमानी किताब व वह्‌ह (ईशवाणी) के बजाय इन्सानी ज्ञान व अनुभव करार पाया और क़ानून बनाने वाला बजाय ख़ुदा के इन्सान की बहुसंख्यक राय या ताक़त को माना गया तो रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो गयीं। मानव रचना में काम और क्रोध तथा जानवरपन दाख़िल है, वह स्वभावतः बन्धनों से आज़ाद रहना चाहता है, वह प्रवृत्ति से भोगी और आराम तलब है जब उसके साथ ख़ुदा का भय और अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी न हो तो उसको कौन सा उत्प्रेरक ऐसा क़ानून बनाने पर आमादा कर सकता है जो खुद उस पर बन्धन और व्यवस्था लागू करे, उसकी आज़ादी ले ले और उसके ऐश को ऐसा कर दे कि

तबीयत उधर झुके नहीं, फिर जब यह क़ानून बनाने वाले इन्सान हों जिनकी परवरिश उन अस्थिर अक़ीदों (विश्वासों) उन उल्टे दृष्टिकोणों, उस विकारयुक्त मान्सिकता और उन व्यभिचारों में हुई हो जिनका ऊपर उल्लेख हुआ तो उनसे ऐसे क़ानून बनाने की आशा करना कहां तक उचित है? जो अपराधों को रोके और जिसमें बुराइयों तथा दुराचारों के घुसने के लिए कोई रुकावट न हो, उनसे यह आशा रखनी चाहिए कि वह अपनी क़ानून बनाने की ताक़त और अपनी सत्ता से अनाचार को क़ानूनी हैसियत देंगे, उनके दौर में अनाचार क़ानून बन जायेंगे और आचरण क़ानून के खिलाफ़ करार पयेंगे। विकृत और अर्ध विकृत क़ौमों के इतिहास में यह घटना अकेली नहीं है कि बड़े–बड़े अपराध जनमत की ताक़त से वैद्य, बेहतर और लोकप्रिय बन गये। पवित्रता सोसाइटी का जुर्म बन गयी। पवित्र लोगों के लिए इस मुजरिम सोसाइटी में रहने की गुंजाइश न रही और जनमत ने यही इलजाम दे कर उनके निकाले जाने की मांग की।

अनुवादः *लूत के मानने वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो यह लोग बड़े पवित्र रहना चाहते हैं।*

सूरः अं–नमल 56)

❖❖❖

पाप और अपराध ....

घूस देने वाला उम्मीद है कि जहन्नम की सज़ा से बचा लिया जाए लेकिन घूस लेने वाला तो जहन्नम में अवश्य जलेगा समाज का यह विकार क़ानून से दूर होना बहुत कठिन है अल्बत्ता समाज में ख़ौफ़े ख़ुदा (ईशभय) से यह ख़राबी दूर की जा सकती है। मैंने तो ऐसे अल्लाह के बन्दे देखे हैं कि उन्होंने रेल का सफ़र किया, किसी मजबूरी से टिकट न ले सके टिकट चेक करने वाला भी उनको पकड़ न सका लेकिन उन्होंने बाद में उतनी क़ीमत का टिकट ख़रीद कर फाड़ दिया। हर मुसलमान को चाहिए कि वह पाप से भी बचे और अपराध से भी, अल्लाह तआला हम सब की मदद फ़रमाए। ◆◆

म्यांमार के बौद्धी

करुणा दया के रूप से
वह बुद्ध महात्मा
पर हैं बौधी म्यांमार के
क्रूर आत्मा
अह्वान उनका था कि
पशु भेंट ना चढ़ें
अह्वान इन का है कि
मनु भेंट पर चढ़ें
रोहिंगियों को वध किया
घर उनका ले लिया
बौद्धिक विशेषताओं को
वध कर के रख दिया
कर्मो से अपने सिद्ध किया
बौद्धी नहीं रहे
धर्म अपने से विमुख हो
तातारी बन गये
ईश्वर की कल्पना तो
इनमें नहीं रही
मस्तिष्क पे इनके मार है
दर्शन की आ पड़ी

❖❖❖

आदर्श शासक

—मौलाना अब्दुस्सलाम क़िदवाई नदवी रह0 —अनुवादः अतहर हुसैन

दूसरे ख़लीफा हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि0 का शासन काल

हाकिम होकर भी निर्धनः–

हज़रत उमर रज़ि0 का ही शासनकाल है, सीरिया देश विजित हो चुका है, प्रांतों की देखभाल के लिए अमीरुल—मोमिनीन दौरा कर रहे हैं। हिम्स पहुंचते हैं और अधिकारियों से भेंट होती है तो आदेश देते हैं कि नगर के ग़रीब तथा हाजतमन्दों की सूची प्रस्तुत करें। सूची बन कर सामने आती है तो सबसे ऊपर सईद बिन आमिर रज़ि0 का नाम दिखाई देता है, हैरान हो कर पूछते हैं, ''यह कौन सईद हैं'' लोगों ने कहा ''हमारे नगर के हाकिम'' अब अमीरुल—मामिनीन को और भी आश्चर्य हुआ। कहने लगे, ''वह कैसे मुहताज हो सकते हैं? उन्हें तो सरकारी ख़ज़ाने से वेतन मिलता है। लोगों ने कहा, हां यह सच है, लेकिन उनका दानी स्वभाव कुछ बाक़ी नहीं रहने देता। जो कुछ मिलता है दूसरों को बांट देते हैं। यह सुन कर हज़रत उमर रज़ि0 रो पड़े, फिर एक हज़ार दीनार हज़रत सईद बिन आमिर रज़ि0 के पास भेजे और क़ासिद (संदेशवाहक) से कहा कि उन्हें मेरी ओर से सलाम कहना और कहना कि अमीरुल—मोमिनीन ने भेजा है। इसे अपनी आवश्यकताओं में ख़र्च करें।

क़ासिद रक़म लेकर सईद बिन आमिर रज़ि0 के घर पहुंचा, अमीरुल—मोमिनीन का पत्र दिया, फिर दीनार की थैली प्रस्तुत की। दीनारों पर नज़र पड़ी तो ज़ोर से कहा, ''इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन'' बीवी ज़रा दूर थीं, उनके कान में यह शब्द पड़े तो घबरा कर पूछा ''कुशल है, क्या किसी दुर्घटना का समाचार मिला है, ख़ुदा न ख़्वास्ता अमीरुल मोमिनीन का देहान्त तो नहीं हो गया?'' कहने लगे नहीं, बल्कि इससे भी बढ़ कर...। बीबी ने पूछा, आख़िर बताइए तो क्या बात है। आप इतने व्याकुल क्यों हैं? कहने लगे, ''अरे देखो, यह दुन्या मेरे पास आई है, हाय मुसीबत मेरे घर में प्रविष्ट कर गई।'' आज्ञाकारी पतनी ने सांत्वना देते हुए कहा, ''आप परेशान न हों यह धन जिस प्रकार चाहिए ख़ुदा की इच्छानुसार दान कर दीजिए।'' बीवी की यह बात सुन कर कुछ ढारस हुई। रक़म को एक थैली में बांध कर रख दिया। कुछ दिनों बाद मुजाहिदों का एक क़ाफ़िला उधर से निकला तो यह समस्त राशि उस पर ख़र्च कर दी।

त्याग तथा संयम की अजीब दशा थी। अपने कर्तव्यों के पालन में ऐसा डूबे हुए थे, कि खाने—कपड़े की भी सुध न थी। कई—कई दिन घर में चूल्हा न जलता था। लोग समझाते थे कि इतना कष्ट क्यों उठाते हैं

परन्तु आप पर कोई प्रभाव न होता था। एक दिन कुछ लोग इकट्ठा हो कर आपके पास आए और प्रार्थना की कि आप पर अपनी जान का हक़ है, अपने रिश्तेदारों का हक़ है, अपने घर वालों का हक़ है, कुछ तो उनके लिए सामान चाहिए। लेकिन सबकी सुनने के बाद आपने कहा, मैं किसी की ख़ातिर अपनी मंज़िल नहीं खोटी कर सकता, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि दीन तथा निर्धन मालदारों से बहुत पहले जन्नत में प्रविष्ट होंगे।

हुकूमत से बचनाः–

हुकूमत और सरदारी की ओर लोग लपकते हैं और प्रयास करते हैं कि जैसे संभव हो इस आदर तथा सम्मान को प्राप्त किया जाये। परन्तु जिन महान आत्माओं को इसके उत्तरदायित्व का ध्यान है और जानते हैं कि कल ख़ुदा के सामने समस्त जनता की ओर से जवाबदेही करनी पड़ेगी, वह हुकूमत से भागते हैं और चाहते हैं कि इस जुए के बोझ से बचे रहें। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ि0 भी उन महापुरुषों में थे जिनकी दृष्टि में हुकूमत फूलों की सेज नहीं अपितु बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। इसी अनुभूति का यह परिणाम था कि जब हज़रत उमर रज़ि0 ने उन्हें हिम्स का हाकिम बनाया तो बहुत नम्रतापूर्वक हज़रत उमर रज़ि0 से इस कार्य के लिए क्षमा मांगी, परन्तु अमीरुल मोमिनीन ने आग्रह करते हुए कहा "नहीं ख़ुदा की क़सम यह नहीं हो सकता, तुम लोगों ने मुझे शासन के कठोर उत्तरदायित्व में जकड़ दिया है और स्वयं चाहते हो कि इन उत्तरदायित्वों से मुक्त रहें, यह कदापि नहीं हो सकता। तुम ने मेरे सिर पर बोझ रखा है, इसके उठाने में मेरा साथ देना होगा।

एक शिकायत की जाँचः–

इन्हीं हज़रत सईद बिन आमिर रज़ि0 का क़िस्सा है कि एक बार उनके इलाक़े के लोगों ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ि0 से शिकायत की। लोगों ने बयान किया कि जब तक अच्छा ख़ासा दिन नहीं चढ़ आता उस वक़्त तक घर से बाहर नहीं आते, रात में किसी के पुकारने पर उत्तर नहीं देते और महीने में एक दिन बिल्कुल ही घर से नहीं निकलते। हज़रत उमर रज़ि0 को इन शिकायतों पर बड़ा अचम्भा हुआ कि ऐसा नेक, जनता की सेवा करने वाला और उनकी हर समय ख़बर रखने वाला आदमी किस प्रकार जनता की ओर से अचेत रह सकता है, परन्तु शिकायत सामने आ चुकी थी, इसलिए सूचना भेज कर हज़रत सईद बिन आमिर रज़ि0 को तलब किया। जब वह आ गए तो उनके सामने लोगों से पूछा कि अब कहो तुम्हें क्या शिकायत है? लोगों ने शिकायत दुहराई। हज़रत उमर रज़ि0 ने पूछा, ऐ सईद! तुम्हारे पास इनका क्या उत्तर है? हज़रत सईद रज़ि0 ने कहा, खुदा की क़सम मैं इनका वर्णन करना नहीं चाहता था, परन्तु अब

चारा ही क्या है अतः सुनिये, बात यह है कि मेरे घर में कोई नौकर नहीं है, जो घर के कामों में सहायता किया करे, बीवी के लिए सब कामों को पूरा करना बहुत कठिन है, इसलिए मैं सुबह जब घर जाता हूं तो आटा गूंधता हूं फिर ख़मीर उठने की प्रतीक्षा करता हूं, उसके बाद रोटी पकाता हूं, फिर हाथ–मुंह धो कर इन लोगों की सेवा करने के लिए बाहर निकलता हूं।

उत्तर सुनने के बाद उन लोगों ने दूसरी शिकायत रखी कि यह रात से सुबह तक किसी का जवाब नहीं देते।

हज़रत उमर रज़ि0 ने पूछा, इसका क्या उत्तर है? हज़रत सईद बिन आमिर रज़ि0 ने कहा, मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन अब बात आन पड़ी तो कहना पड़ रहा है– ''वास्तविकता यह है कि मैंने, दिन इन लोगों की सेवा के लिए दे रखा है और रात अपने पैदा करने वाले को अतः जब रात आती है तो इनकी आवश्यकताओं से निपट कर इशा की नमाज़ के बाद घर के अन्दर चला जाता हूं और अपने मालिक के सामने खड़ा हो जाता हूं।

अब लोगों ने शिकायत पेश की कि महीने में एक दिन यह बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलते। हज़रत उमर रज़ि0 ने हज़रत सईद बिन आमिर रज़ि0 को सम्बोधित करते हुए कहा, सुनते हो लोग क्या कह रहे हैं? हज़रत सईद बिन आमिर रज़ि0 ने कहा, ''अमीरुल मोमिनीन! हक़ीक़त यह है कि मेरे पास एक कपड़े के अतिरिक्त दूसरा कपड़ा नहीं है जिसे मैं मैला होने के बाद बदल लिया करूं, न मेरे पास कोई ख़िदमतगार है जो मेरे कपड़े धो दिया करे, इसी वजह से जब कपड़े बहुत मैले हो जाते हैं तो उन्हें उतार कर स्वयं धोता हूं, जब सूख जाते हैं तो पहन कर बाहर निकलता हूं। इस काम में दिन का बड़ा भाग बीत जाता है।'' यह उत्तर सुन कर हज़रत उमर रज़ि0 का मुखड़ा हर्ष से खिल गया और कहने लगे कि ख़ुदा का शुक्र है कि उसने मेरी सूझ–बूझ इनके बारे में ग़लत नहीं की। इसके बाद हज़रत सईद बिन आमिर रज़ि0 के पास एक हज़ार दीनार भेजे और कहला भेजा, इससे अपना काम चलायें। उनकी बीवी ने देखा तो बहुत खुश हुई और कहने लगीं, इससे एक ग़ुलाम खरीद लिया जाये ताकि घर के काम–काज से कुछ छुट्टी मिले। लेकिन हज़रत सईद बिन आमिर रज़ि0 ने कहा, क्या तुम्हें इससे भी बढ़ कर एक बात पसन्द नहीं है। आओ, यह दीनार ऐसे लोगों के ऊपर व्यय करें जो हम से भी अधिक परेशान हैं। अल्लाह ने उन्हें बीवी भी बड़ी शुशील दी थी, यह सुनते ही वह तैयार हो गई।

हज़रत सईद बिन आमिर रज़ि0 ने एक विश्वासपात्र व्यक्ति को बुलाया, अलग–अलग पोटलियों में दीनार बांधे और उसको आदेश दिया कि इसे अमुक परिवार की विधवा तक पहुंचा दो, इसे अमुक यतीम को दे आओ, इसे अमुक ग़रीब के पास ले जाओ और इसे अमुक बीमार के सिपुर्द कर आओ।'

कातिबे वह्ी हज़रत मुआ़विया रज़ि़यल्लाहु अन्हु

—हज़रत मौ0 सै0 अबुल हसन अली हसनी नदवी रह0 —हिन्दी इम्लाः हुसैन अहमद

नोटः वह्ी (वह्युन) का अर्थ है ईशवाणी, और कातिब का अर्थ है लिखने वाला।

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जब वही नाज़िल होती थी यानी अल्लाह का कलाम उतरता था तो आप कुछ लोगों से उस को लिखवा देते थे इस लिए कि आप ने लिखना नहीं सीखा था लिखने वालों को कातिबीने वही कहा जाता है। उन्हीं में से एक हज़रत मुआविया रज़ि0 भी थे। इसलिए आप को कातिबे वही कहा जाता है। (सम्पादक)

ऐतिहासिक वास्तवि— कताओं विशेष कर उस जटिल काल को सामने रखते हुए जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद पेश आया और इस्लामी समाज पर आंतरिक तथा वाह्य (अन्दूरूनी व बैरूनी) बदलती हुई परिस्थिति की जो प्रतिक्रिया हुई उन सब की समीक्षा से जो बात नज़र आती है, वह यह कि हज़रत मुआविया रज़ि0 को लोगों की मनोवृत्ति समझने में दक्षता और लम्बे काल से शासन करने का जो अनुभव था उसने उनको विश्वास दिलाया कि इस समय के इस्लामिक समाज के नेतृत्व तथा इस्लामिक शासन चलाने में हालात के बदलाव के सबब अब ख़िलाफ़ते राशिदा के नियमों के अनुकूल चलाना कठिन है। हज़रत मुआ़विया रज़ि0 इस बात पर संतुष्ट थे कि समय की मांग यही है कि इस्लामी राज्य को आशंकाओं से सुरक्षित रखा जाए, राज्य में शांति रहे, अम्न रहे विजय प्राप्त करने के कामों को जहां तक संभव हो जारी रखा जाए और इसके लिए एक व्यक्तिगत तथा पैत्रिक (मौरूसी) परन्तु न्याय प्रिय शासन स्थापित हो जाये तो कोई हर्ज नहीं हैं। शासन इस्लामिक शिक्षाओं के अन्तर्गत हो परन्तु लचक हो और शरीअ़त का पूरा आदर रहे तथा शरीअत के विरुद्ध कोई काम न हो, शासन करने और उसको चलाने में उदारता से काम लिया जाए।

इस शक्ल में शासन इस्लाम के बाहर नहीं जायेगा चूंकि अब इस्लामिक राज्य एक विशाल राज्य बन चुका है जिसमें विभिन्न नस्लों, विभिन्न धर्मों तथा विभिन्न सभ्यताओं के लोग रह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बुद्धिमानी तथा लचक के साथ शासन चलाया जाये। और जो समस्यायें आयें उनको भली नीतियों तथा समय की मांग के अनुकूल सुलझाया जाये। अतः उन्होंने अपना शासन एक मुसलमान सैनिक तथा प्राबन्धिक शासक के रूप में स्थापित कर लिया।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भविष्यवाणी की थी, अनुवादः नुबूवत की खिलाफत (नबी का प्रतिनिधित्व) तीस वर्षों तक रहेगी फिर अल्लाह तआला जिसको चाहेगा अपना मुल्क दे देगा अर्थात

ख़िलाफ़त ख़त्म हो जायेगी। बादशाही शुरु हो जायेगी'' (सुनने अबी दाऊद) और सुनने अबी दाऊद ही में है ''सईद बिन जमहान से रिवायत है कि सफीना ने मुझ से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ से फरमाया, मेरी उम्मत में ख़िलाफ़त (प्रतिनिधित्व) तीस साल तक रहेगी, फिर बादशाही हो जायेगी, फिर मुझ से सफीना ने कहा कि अबू बक्र, उमर व उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम की ख़िलाफ़त का ज़माना जोड़ो, फिर कहा अली रज़ि0 की ख़िलाफ़त को जोड़ो, तो हम ने उस को तीस साल पाया''।

ख़िलाफ़त अला मिनहाजिन्नुबूवा तीस साल रहेगी, उसके बाद अल्लाह मुल्क जिस को चाहेगा दे देगा, एक रिवायत में है, अपना मुल्क जिसको चाहेगा दे देगा।

नोटः (हज़रत अली रज़ि0 की शहादत रमज़ान 40 हिजरी में हुई, उनकी ख़िलाफ़त 29 साल 6 महीने पर ख़त्म हो गई फिर हज़रत हसन रज़ि0 ख़लीफ़ा हुए उन्होंने रबीउल अव्वल 41 हिजरी में हज़रत मुआ़विया से सुलह करके ख़िलाफ़त से अलग हो गये उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद 30 साल पूरे हुए इसलिए उलमा ने हज़रत हसन रज़ि0 को भी राशिद ख़लीफ़ा माना है)।

(सम्पादक)

हज़रत मुआविया रज़ि0 को खुद भी इस का दावा न था कि उनकी हुकूमत ख़ुलफ़ाए सलासः (हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर व हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम) की ख़िलाफ़त की तरह ''ख़िलाफ़ते राशिदः'' है, वह सफ़ाई के साथ फ़रमाते थे, कि वह एक हाकिम (शासक) और शासन के चलाने वाले हैं, अलबत्ता उनके पश्चात जो शासक तथा शासन चलाने वाले आयेंगे उनको देख कर उनकी (हज़रत मुआ़विया की) क़द्र होगी और खुला अन्तर देखने को मिलेगा। (अलबिदाया वन्निहाया जिल्द 8 पेज 146 व 153)

प्रसिद्ध इतिहास कार मसऊ़दी (अबुल हसन अली बिन अलहुसैन अलमसऊ़दी मृत्यु 345 हिजरी) ने उनका प्रतिदिन का नियम इस प्रकार लिखा हैः—

उनके यहां पाँच बार बे रोक टोक लोगों के आने की अनुमति थी, वह सुब्ह को फज्र की नमाज़ पढ़ कर बैठ जाते और घटी हुई घटनाओं का वृत्तांत सुनते, फिर अपने घर के अन्दर जाते और एक पारा कुर्आन मजीद पढ़ते, फिर बाहर आ कर प्रबन्ध सम्बन्धी निर्देश देते फिर चार रकअ़त नमाज़ पढ़ते फिर मुख्य जनों को उपस्थिति की अनुमति होती। उनसे विभिन्न विषयों पर वार्तालाप करते फिर शासन के परामर्श दाता उपस्थित होते और उस दिन के करने वाले कामों की सूचना देते, फिर कुछ नाश्ता (जलपान) फरमाते, फिर एक बार घर जा कर बाहर आ जाते, मस्जिद में कुर्सी लगा दी जाती। आपके पास कमज़ोर, गांव का रहने वाला देहाती, बच्चा, औरत और बेकस व लावारिस बे सहारा आदमी आता, तो आप फरमाते इस का सम्मान करो और इस की सुनो कोई कहता मेरे साथ ज़ियादती हुई, आप फरमाते इसके मुआमले की जांच

करो, और इसकी मुश्किल हल करो, जब कोई बाक़ी न रहता तो मजलिस से उठते, चार पाई पर बैठ जाते और फरमातेः लोगों को उनकी हैसीयत (मान) के अनुकूल आने दो।

जब सब बैठ जाते तो फरमाते कि साहिबो! उन लोगों की आवश्यकताएं तथा समस्याएं हम तक पहुंचाया करो जो खुद नहीं पहुंच सकते, इसीलिए अल्लाह ने तुम को अधिकारी का सम्मान प्रदान किया है फिर हर एक के विषय में आवश्यकतानुसार आदेश देते, प्रतिदिन का यही नियम था।

(मुरव्वजुज्ज़हबः 2/51,52)

इस सब के साथ अहले सुन्नत वल–जमाअत का अक़ीदा है कि ख़िलाफ़त के मुआमले में हक़ हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के साथ था। (इजालतुल– खिफा, हज़रत शाह वलीयुल्लाह देहलवी रह0 2/278 व 280)

शेखुल–इस्लाम हाफिज़ इब्ने तैमीया हर्रानी रह0 ने भी सराहत के साथ लिखा है कि "हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और जो लोग उनके साथ थे, वह मुक़ाबिल जमाअत के मुकाबले में हक़ पर थे और उन से अफ़ज़ल थे।

मजमू–अ़ए–फतावा शैखुल इस्लामः 4/433)

(अहले सुन्नत का मानना है कि इस विषय में हज़रत मुआविया रज़ि0 इजतिहादी गलती पर थे)। (सम्पादक)

इस में शक नहीं कि हज़रत मुआविया रज़ि0 के काल में इस्लाम और मुसलमानों को विजय तथा प्रभुत्व (फ़तह व ग़ल्बा) प्राप्त हुआ, और इस्लाम की परिधि (दाइरा) बढ़ा, हज़रत मुआविया रज़ि0 ने धर्मयुद्धों (गज़वात) की श्रृंखला जारी रखी, और विजयों की श्रृंखला जल तथा थल मार्गों से वहां तक पहुंची जहां विजयी मुसलमानों के क़दम पहले नहीं पहुंचे थे, वह विजय प्राप्त करते हुए बहरे उक्यानूस (अटलांटिक) तक पहुंच गये, उनके मिस्र के गर्वनर ने सूडान को इस्लामिक शासन में मिला लिया, उनके काल में समुद्री बेड़े बड़ी संख्या में तैयार हुए, वह समुद्री बेड़े तैयार करने में विशेष ध्यान देते थे, यहां तक कि उन बेड़ों की संख्या 1700 तक पहुंच गई, यह सब बेड़े (नवकाएं) हथियारों और सिपाहियों से भरी हुई थीं, यह समुद्री बेड़े विभिन्न दिशाओं में जाते और विजयी हो कर लौटते, उनके द्वारा अनेकों क्षेत्र जीते गये और इस्लामिक शासन विकसित हुआ, जिन में कबरस द्वीप और यूनान तथा नील नदी के कुछ टापू और रुदस द्वीप भी शामिल हैं, खुशकी (थल) के क्षेत्रों को विजय करने के लिए उन्होंने एक सेना तैयार की थी, जो जाडों में आक्रमण करती उसको "अशशवाती" कहते थे, दूसरी सेना गर्मियों में आक्रमण करती, उसका नाम "अ़स्सवाइफ" था, यह गज़वात (धार्मिक युद्ध) निरंतर जारी थे, और इस्लामिक शासन की सीमाएं सुरक्षित थीं। सन् 48 हिजरी में हज़रत मुआविया रज़ि0 ने एक बड़ी सेना तैयार की थी ताकि वह कुसतुन्तुनिया पर समुद्री तथा खुशकी दोनों ओर से आक्रमण करे, मगर उस शहर की बाहरी दीवारें बहुत ही मज़बूत थीं और वहां तक पहुंचना कठिन था, और चूंकि यूनानी अग्नि–आक्रमण

ने उनके बेड़ों को नष्ट कर दिया था, अतः वह आक्रमण सफल न हो सका, और कुसतुन्तुनिया विजय न हो सका, इस सेना में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ि0 और यज़ीद बिन मुआविया शरीक़ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आतिथ्य (मेजबान) हज़रत अबू अय्यूब अंसानी रज़ि0 का देहान्त इसी नगर के घेराव के काल में हुआ, और उनको शहर पनाह के निकट दफ़्न किया गया। हज़रत मुआविया रज़ि0 ही के काल में मुसलमान नायक हज़रत उक़्बा बिन नाफ़ेअ़ अफरीक़ा में दाखिल हुए और बरबर क़बीले के जो लोग इस्लाम लाये वह उनकी सेना में आ कर मिल गये, और ''कैरवान'' में अपना एक केन्द्र और सैनिक छावनी बना ली, और बड़ी संख्या में बरबरी इस्लाम लाये और मुसलमानों के शासन का क्षेत्र खासा बढ़ गया। (तारीखुल–उमम अल –इस्लामिया (अद्दौलतुल उमवीया) शैख मुहम्मद अल–खज़्रीः 1/114,115) और अल–इन्तिक़ाद अ़ला तारीखुत्तमद्दुन अल–इस्लामिया (जुरजी जैदान) लिखित द्वारा अल्लामा शिब्ली नोमानी रह0)

हज़रत मुआविया रज़ि0 में ऐसे बहुत से गुण थे जिन से उनके इस्लाम और मुसलामनों से प्रेम का पता चलता है। और यह कि वह दीनी ढांचे को बाक़ी रखना चाहते थे, और उस का बचाव करते थे, उनकी दूर दर्शिता और शासन के प्रबन्धों में भली नीतियों के अतिरिक्त उनमें दीन की हमीयत (गौरव) तथा इस्लाम और मुसलमानों के हितों में यदि आवश्यकता पड़े तो उसको प्राथमिकता देने की भावना थी, उनका एक कारनामा इस स्थान पर उल्लेखनीय है। जिससे उनके दीनी गौरव का पता चलता है, जिसको बहुत से इतिहासकारों ने लिखा है जिन में इब्ने कसीर भी हैं, इब्ने कसीर ने लिखा है किः–

रूम के शासक ने हज़रत मुआविया रज़ि0 को मिलाने की इच्छा प्रकट की इसलिए कि इन की सत्ता रूमी राज्य के लिए आशंकित बन चुकी थी, और शामी सेनाएं उसकी सेनाओं को परास्त कर के नीचा दिखा चुकी थीं। रूम के शासक ने देखा कि हज़रत मुआविया और हज़रत अली रज़ि0 परस्पर युद्ध में व्यस्त हैं वह बड़ी सेना के साथ किसी क़रीब के मुल्क में आया और हज़रत मुआविया रज़ि0 को लालच दिया, तो हज़रत मुआविया रज़ि0 ने उसको लिखाः–

''ख़ुदा की कसम अगर तू न रुका और ऐ लईन (निन्दित) अगर तू अपने मुल्क वापस न गया तो हम और हमारे चचेरे भाई (अली रज़ि0) दोनों आपस में मिल जायेंगे और तुझ को तेरे तमाम शासन से निकाल बाहर करेंगे। और इस विशाल धरती पर तेरा रहना दूभर कर देंगे। यह सुन कर रूम का शासक डर गया और वापस चला गया''। (अल–बिदाया वन्निहायाः8/119)

यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि हज़रत मुआविया बिन अबी सुफयान रज़ि0 सहा–बए–किराम रज़ि0 की जमाअत के एक मुम्ताज़ फर्द

(प्रमुख व्यक्ति) हैं, इनके विषय में हदीसें मौजूद हैं, जो लोग उन पर बुरी ज़बान खोलते हैं और उनको बुरा कहते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि वह एक ऐसे सहाबी हैं जिन को कराबत का शरफ भी हासिल है। अर्थात वह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रिश्तेदार भी हैं।

इमाम अबू दाऊद ने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि0 से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया ''मेरे सहाबा की बुराई न करो, कसम उस ज़ात की जिसके कबज़े में मेरी जान है, अगर तुममें से कोई उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना अल्लाह की राह में दे दे तो उनकी बराबरी क्या उनके एक मुद और आधे मुद खर्च करने की बराबरी को भी नहीं पहंचेगा।

अबू दाऊद ने अबू बक्र रज़ि0 से रिवायत की है कि उन्होंने कहा ''रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत हसन रज़ि0 के बारे में फरमाया कि यह मेरा फरजन्द (बेटा) सरदार है, मुझे यक़ीन है कि अल्लाह तआला इसके ज़रिये मेरी उम्मत के दो गिरोहों में सुलह करायेगा।''

एक रिवायत के अल्फाज़ यह हैं: ''उम्मीद है कि अल्लाह इनके जरिये दो बड़े गिरोहों में सुल्ह करा देगा''।

दैलमी ने हज़रत हसन बिन अली रज़ि0 से रिवायत की है, उन्होंने फरमाया ''मैंने हज़रत अली को यह कहते हुए सुना कि वह फरमाते थे कि मैं ने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते थे ''दिन रात के तसलसुल का किस्सा खत्म न होगा कि मुआविया रज़ि0 बरसरे हुकूमत आजाएंगे।

आजुर्री किताबुश्शरीआ में अब्दुल मलिक बिन उमैर से रिवायत करते है कि हज़रत मुआविया रज़ि0 ने फरमाया ''जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह कहते हुए सुना कि ऐ मुआविया! अगर तुम को हुकूमत मिल जाये तो अच्छी तरह हुकूमत करना, उस वक्त से मुझे ख़िलाफ़त के हुसूल प्राप्ति की तमन्ना थी''।

हज़रत उम्मे हराम रज़ि0 की हदीस से यह साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया ''पहली फौज जो समन्दरी इलाक़ा पर हम्ला आवर होगी उस में हिस्सा लेने वालों की नजात और बख़्शिश है''।

और पहला शख़्स जो हज़रत उस्मान रज़ि0 के अहद में बहरी रास्ता से जिहाद को निकला हज़रत मुआविया थे, और हज़रत उम्मे हराम रज़ि0 उस फौज में थीं और समन्दर उबूर (पार) करने के बाद उन की वफ़ात हुई है।

यह बात साबित है कि हज़रत मुआविया रज़ि0 को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपना कातिब बनाया था (वही लिखने वाला) और आप अपना कातिब उसी को बनाते थे जो अ़द्ल व अमानत के सिफात से मुत्तसिफ हो।

हज़रत मुआविया रजि0 अपने बारे में कहते हैं ''मैं ख़लीफ़ा नहीं हूं लेकिन इस्लाम में पहला बादशाह हूं

शेष पृष्ठ....35 पर

आत्म विश्वास की आवश्यकता

—मौलाना डॉ0 सईदुर्रहमान आज़मी नदवी

—हिन्दी इम्लाः हुसैन अहमद

मुसलमान इस समय जिन समस्याओं से दो चार हैं, उनके महत्व को शायद ही कोई नकार सके यह समस्याएं सदैव आने वाली नित नई समस्याओं की भांति नही हैं कि उनसे सरसरी तौर पर गुज़र जाना काफी हो और न वक़्ती तौर पर किसी कानफ्रेंस या कंवेन्शन के द्वारा उनका समाधान किया जा सकता है इसलिए कि यह बात साधारण कान्फ्रेंसों तथा साधारण सभाओं से बहुत आगे बढ़ चुकी है।

हम जिस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं वह एक निर्णायक परिस्थिति है। इस समय हमारी ज़रा सी भूल तथा अचेतना हमारी आने वाली पीढ़ी के नाश विनाश का कारण बन सकती है तथा हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सदैव के लिए हीनता तथा दास्ता की बेड़ियों में जकड़ी जा सकती हैं।

इस समय हिन्दोस्तान में कुछ ऐसी पार्टियां तथा दल सक्रिय हैं जो मुसलमानों के अस्तित्व को सहन करने के लिए किसी तरह तैयार नहीं हैं वह अपने चरमपंथी स्वभाव तथा अत्यन्त संकीर्णता के कारण मुसलमानों को विदेशी तथा बाहर से आने वाला समझती हैं, उनकी दृष्टि में मुसलमान संविधान से लाभान्वित होने का अधिकार नहीं रखते, उनका कहना है कि मुसलमान इस देश से चले जाएं अन्यथा उन को बहुसंख्यक के साथ इस तरह रहना होगा कि वह हर दशा में बहुसंख्यकों की भांति हों, भाषा, संस्कृति, प्रथाओं अपितु धर्म में भी उन जैसे हों और अपना जीवन बहुसंख्यकों के जीवन के अनुकूल बिताएं, दूसरे शब्दों में वह केवल नाम के मुसलमान कहलाएं परन्तु वास्तव में वह गैर मुस्लिम हों।

इस समय इस देश में खुल्लम खुल्ला यह आन्दोलन चल रहा है और कुछ क्षेत्रों में तो खुल कर यह नारा लगाया जा रहा है कि मुसलमान भारत छोड़ दें कहीं मुसलमानों को धमकाया जा रहा है और उनसे इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि मुसलमान भयभीत हो कर कहीं और चले जाएं, परन्तु उनके लिए सोचने की बात है कि क्या मुसलमान इनके इस स्वभाव से भारत छोड़ देंगे? जैसा कि यह पक्षपाती तथा संकीर्ण दृष्टि वाली पार्टियां समझ रही हैं? क्या वह मुसलमान जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक शताब्दी से अधिक संघर्ष किया है तथा अपने रक्त से देश को सींचा है वह मुसलमान ''देश छोड़ो'' नारे से, जिस का देश के चप्पे चप्पे पर हक़ है वह क्या अपने प्रिय देश को छोड़ कर चला जाएगा?

इस समय आवश्यकता है कि हम अपना उद्देश्य तथा अपना दृष्टिकोण नियुक्त करें और शासन के समक्ष अपनी पोज़ीशन स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत करने की आदत डालें और साफ़–साफ़ एलान करें कि इस देश पर मुसलानों का उतना ही हक़ और अधिकार है जितना दूसरे वतनी भाईयों का हक़ है। और मुसलमान इस देश की समस्त समस्याओं तथा परस्थितियों में बराबर के शरीक़ हैं और उनको इस देश की समस्त समस्याओं के समाधान में भाग लेने का अधिकार है। यह कभी नहीं हो सकता कि मुसलमान यहां के गिन्ती के कुछ कायरों की गीदड़ भपकियों और रक्त–पात की धमकियों से भयभीत हो कर अपने प्रिय वतन तथा अपने अनुपम धार्मिक तथा सांस्कृतिक कीर्तियों को छोड़ कर चले जाएं या यहां रह कर अपनी समस्त धार्मिक प्रक्रियाओं तथा प्रमुख पहचानों को छोड़ कर बहुसंख्यकों के रंग में रंग जाएं तथा अत्याचार और अन्याय के सामने सर झुका दें।

इस वास्तविकता के जाहिर करने में हम को तनिक भी संकोच न होना चाहिए कि यहां मुसलमान हर कीमत पर मुसलमान ही बन कर रहेंगे और अपनी समस्त इस्लामिक विशेषताओं के साथ रहेंगे, हमारी दुर्बलता तथा हीनता का बड़ा कारण यह है कि हम अपनी अधिकांश इस्लामिक विशेषताओं को स्वयं ही छोड़ बैठे हैं दीनी कामों में हम अत्यन्त कमज़ोर हो कर रह गये हैं उसी का परिणाम है कि हम को डराने वाले डरा रहे हैं और हम को देश से निकालने का षडयंत्र रच रहे हैं और हम शासन से दया, कृपा और न्याय की भीख मांग रहे हैं, समानता तथा सैकूलरिज्म के नाम पर उस की दुहाई दे रहे हैं और हर वह काम करने को तैयार हैं जो हमारे लिए लज्जा, हीनता और दास्ता जैसी बात है अगर हम को मुसलमान बन कर रहना है और अपना उच्च पद संसार से स्वीकार कराना है तो हम को उक्त कुछ प्रक्रियाओं को छोड़ना होगा वर्तमान परिस्थितियों में हमारे लिए शासन से दया तथा न्याय की भीख मांगना उचित नहीं है इसमें हमारा अपमान है जब कि हम को इस संसार में अल्लाह की ओर से प्रतिनिधित्व प्रदान हुआ है।

हमारी समस्याओं का समाधान, खुदा पर भरोसा करना है और सम्मान के साथ जीवित रहना है तो हम को पूर्णतः इस्लामिक विशेषताओं तथा पहचानों को अपनाना होगा और आदर्श मुस्लिम बनना होगा और संसार को विशेष कर अपने वतनी भाईयों को यह बताना होगा कि इस्लाम एक आदर्श तथा संपूर्ण धर्म है, जिस के अनुयायी आदर्श तथा मानवी जीवन में संपूर्ण होते हैं। हमारे जो भाई दूसरों की सभ्यता से प्रभावित हो कर परिवर्तित हो गये हैं उनको अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। बात चीत में, पहनावे

में, रूप संवारने में दुकान व मकान में इस्लामिक पहचानों के अनुकूल परिवर्तित करना होगा जब तक कि हमारी हर वस्तु तथा हर बात इस्लाम के अनुकूल न होगी दूसरी क़ौमें हम से प्रभावित नहीं हो सकतीं न ही हम को तवज्जुह के क़ाबिल समझ सकती हैं।

आज अगर हम अपनी मुस्लिम क़ौम का सर्वेक्षण करें तो उनके जीवन में इस्लामिक जीवन का एक, दो प्रतिशत भाग भी न दिखेगा, इसका सब से बड़ा कारण यह है कि हम समस्याओं को भौतिक सोच से समझने का प्रयास करते हैं, ईमान की शक्ति और ख़ुदा पर भरोसा की महान शक्ति जो मुसलमानों के वास्तविक हथियार हैं और मुसलमानों की शक्ति का उदगम हैं, हमारे अन्दर मौजूद नहीं रहे और इन्हीं के नास्ति (फ़ुकदान) ने हम मुसलमानों को विद्यमान परिस्थिति में पहुंचा दिया है।

विद्यमान परिस्थिति में मुसलमानों के लिए अनिवार्य है कि वह अपने अन्दर आत्मविश्वास पैदा करें तथा वह अपने जीवन में परिवर्तन ला कर उस को इस्लामिक जीवन बनाएं। जब तक हम अपना जीवन पूर्णतः इस्लामिक न बनाएंगे और यहीं रहने का सुदृढ़ संकल्प न लेंगे उस वक़्त तक हम संपूर्ण सफलता से वंचित रहेंगे। पवित्र क़ुर्आन में इसी वास्तविकता की ओर संकेत किया गया है—

अनुवादः *"और हुक्म भेजा हमने मूसा और उनके भाई को कि मुकर्रर करो अपनी क़ौम के वास्ते मिस्र में घर, और बनाओ अपने घरों को किब्ला और काइम करो नमाज़, और खुशख़बरी दो ईमान वालों को"। (सूरः यूनुस—87)*

अपने वतन में रहने और घर बनाने और घरों को किब्ला बनाने का हुक्म इसलिए दिया जा रहा है ताकि वह इस्लामी घर की अलामत समझा जाए और उसके बाद नमाज़ काइम करने का हुक्म है। यदि हम क़ौमों के इतिहास पर ध्यान दें तो हम को स्पष्ट रूप से ज्ञात होगा कि क़ौमों की बका "अपनी क़ौमी पहचानों के साथ जीने और मरने" पर निर्भर है।

अगर उन्होंने अपनी दीनी प्रथाओं (रिवायात) को पीठ पीछे डाल दिया अर्थात त्याग दिया और अपनी दीनी पहचान को छोड़ कर दूसरों की प्रथाओं को लालच की दृष्टि से देखा या अपनाया और गैरों में इस प्रकार घुल मिल गए कि उनमें अपने मज़हब की पहचान बाक़ी न रही तो फिर संसार में वह अपना कोई स्थान पैदा न कर सकेंगे।

हर काम आरम्भ करने से पहले हम को सोचना चाहिए और तै करना चाहिए कि उस का प्रत्यक्ष तथा गुप्त रूप इस्लाम के अनुकूल हो तथा अपनी इस्लामिक प्रतिभा को हर समय और हर स्थान पर प्रदर्शित करना है। अपनी इस्लामी पहचान छोड़ कर शासन की दया तथा कृपा पर जीना उनसे न्याय

की भीख मांगना और मुसलमान जैसी जीवित तथा गतिशील क़ौम के वैभव के विरुद्ध है आज की बड़ी आपत्ति यही है कि हर समस्या का समाधान हम दूसरों में ढूंढते हैं और स्वयं अपने पद तथा स्थान से अपरिचित हैं।

किसी कवि ने सच कहा हैः–

कर सकते थे जो अपने ज़माने की इमामत
वह कुहना दिमाग़ अपने ज़माने के हैं पैरो

अर्थात जो अपने काल का नेतृत्व कर सकते थे वह पुराने दिमाग वाले अपने काल के पीछे चलने लगे अर्थात मुसलमान जो संसार का नेतृत्व कर सकते थे वह संसार वालों के पीछे चलने लगे।

(तामीरे हयात 10 सितम्बर 2018 से संक्षेप के साथ अनुवाद)

❖❖❖

फ़िलिस्तीन

मज़ालिम मुसलसल फ़िलिस्तीन पर हैं
यहूदी मज़ालिम फ़िलिस्तीन पर हैं
करम कर खुदाया फ़िलिस्तीनियों पर
नज़र ग़ासिबों की फ़िलिस्तीन पर हैं

प्यारे नबी की प्यारी.......

तो पुख़्तगी के साथ दुआ करो, यह न कहो कि ऐ अल्लाह तू चाहे तो दे दे, अल्लाह को कोई मजबूर करने वाला नहीं है। (बुखारी–मुस्लिम)

माशा अल्लाह कहनाः–

हज़रत हुजैफा रज़ि0 से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया किसी बात पर यह न कहो कि अल्लाह चाहे और फलां चाहे बल्कि यूं कहो कि अल्लाह चाहे फिर फलां चाहे। (अर्थात ख़ुदा और बंदे के मध्य कुछ अंतर और फासला ज़रूर होना चाहिए ऐसा न हो कि जैसे दोनों बराबर के और एक दूसरे के समान हैं)

इशा की नमाज़ के बाद बात चीत करने की कराहतः–

हज़रत अबू बरज़ा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इशा की नमाज़ से पहले सोना और इशा की नमाज़ के बाद बात चीत करना ना पसंद फरमाते थे।

(बुख़ारी–मुस्लिम)

व्याख्याः– फुजूल बात चीत व किस्सा गोई और मज्लिस जमाना इसलिए मना है कि तहज्जुद के छूटने और देर में उठने का खतरा है। घर वालों से ज़रूरी बात चीत और मुफीद दीनी बात चीत शिक्षा दीक्षा की बात मुराद नहीं! अब तो मोबाइल ने सारी हदें पार कर दीं हैं अल अमान वल हफीज।

शौहर की खिलाफ़वर्जी करने की मुमानियतः–

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रविायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जब शौहर अपनी बीवी को अपने पास बुलाये और वह इंकार कर दे, फिर उसका शौहर गुस्से की हालत में रात गुजारे तो सुब्ह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते हैं। (बुख़ारी–मुस्लिम)

एक रिवायत में है, यहां तक कि अपना इंकार वापस ले ले!

◆◇◆

–प्रस्तुति–
जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

आपके प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी

प्रश्न: एक वतनी भाई सुवाल कर रहे हैं कि क्या कुर्आन मजीद में तौहीद की तालीम दी गई है और शिर्क से रोका गया है?

उत्तर: हाँ! कुर्आन मजीद में तौहीद की तालीम कामिल तरीक़े और आला दर्जे पर दी गई है, बल्कि आज दुन्या में सिर्फ कुर्आन मजीद ही ऐसी किताब है जो खालिस तौहीद (एकेश्वरवाद) की तालीम देती है, और शिर्क से पूरी तरह रोकती है, अगर्चे पहली आसमानी किताबों में भी तौहीद की तालीम थी लेकिन इन तमाम किताबों में लोगों ने (उनके मानने वालों ने) तहरीफ (अदल बदल) कर डाली और तौहीद के खिलाफ़ बातें दाखिल कर दीं और खुदा की भेजी हुई आसमानी तालीम को बदल दिया उसकी इस्लाह के लिए और सच्ची तौहीद दुन्या में फैलाने के लिए अल्लाह तआला ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भेजा और अपनी खास किताब कुर्आन मजीद नाज़िल फरमाई और उसमें साफ़—साफ़ सच्ची और खालिस तौहीद (एकेश्वर वाद) की तालीम दी। चुनांचे कुर्आन मजीद में अव्वल से आखिर तक तौहीद (एकेश्वर वाद) की तालीम भरी हुई है कुछ आयतें यह हैं,

अनुवादः— *''और तुम्हारा माबूद (पूज्य) एक अल्लाह है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं वह रहमान (बड़ा दयालु) और रहीम (महा कृपालु) है''।*

(अल बकराः 163)

दूसरी आयत, अनुवादः— *''अल्लाह तआला गवाह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और फिरिश्ते और अहले इल्म भी इसी बात की गवाही देते हैं, वह इन्साफ़ रखने वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं वह गालिब हिकमत वाला है''। (आले इमरानः 18)*

इसी तरह और बेशुमार आयतें ख़ुदा की तौहीद की तालीम देती हैं जैसे—

अनुवादः— *''तू कह कि अल्लाह एक है'' (अल इख़्लासः 1) और शिर्क के बारे में फरमाया अनुवादः ''बेशक अल्लाह तआला इस बात को न बख़्शेंगे कि उनके साथ किसी को शरीक करार दिया जाये और इसके सिवा और जितने गुनाह हैं जिसके लिए मंजूर होगा वह गुनाह बख़्श देंगे और जो शख़्स अल्लाह तआला के साथ शरीक़ ठहराता है वह बड़े जुर्म का मुरतकिब हुआ''।*

(अन—निसाः 48)

मतलब यह है कि अल्लाह के साथ साझी ठहराने वाला यानी शिर्क करने वाला तौबा किये बगैर मर गया तो अल्लाह तआ़ला उसे मुआ़फ न करेंगे वह हमेशा जहन्नम में रहेगा अल्बत्ता शिर्क व कुफ़्र के अलावा दूसरे गुनाहों में से जिन गुनाहों को अल्लाह तआला चाहेगा मुआ़फ़ कर देगा या फिर बन्दा अपने गुनाहों की सजा पा कर जहन्नम से निकाला जायेगा और जन्नत में दाख़िल किया जायेगा।

प्रश्नः तौरेत, ज़बूर और इन्जील का आस्मानी किताबें होना कैसे मालूम हुआ?

उत्तरः इन तीनों किताबों का आस्मानी किताब होना कुर्आन मजीद से साबित होता है तौरेत के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया है, अनुवादः "बेशक हम ने तौरेत उतारी उस में हिदायत और नूर है"।

(अल माइदाः 44)

ज़बूर के बारे में फरमाया, अनुवादः "हमने दाऊद को ज़बूर दी"।

(अन निसाः 162)

इन्जील के बारे में फरमाया अनुवादः "हम ने ईसा बिन मरयम को भेजा और उन्हें इन्जील दी"।

(अल—हदीदः 27)

पस मुसलमानों को कुर्आन मजीद के जरिये से इन तीनों किताबों का आस्मानी किताबें होना मालूम हुआ।

प्रश्नः तो क्या यह तौरेत और ज़बूर और इन्जील जो ईसाईयों के पास मौजूद हैं वह आस्मानी तौरेत और ज़बूर और इन्जील हैं?

उत्तरः नहीं क्योंकि कुर्आन मजीद से यह बात भी साबित होती है कि इन किताबों को लोगों ने अदल बदल कर दिया है मौजूदा तौरते, ज़बूर, इन्जील वह असली आस्मानी किताबें नहीं हैं बल्कि इनमें तहरीफ़ (अदल बदल) हुई है इसलिए इन मौजूदा तीनों किताबों के मुतअल्लिक यह यक़ीन नहीं रखना चाहिए कि यह असली आस्मानी किताबें हैं।

प्रश्नः नमाज़ से पहले जो चीज़ें ज़रूरी हैं वह क्या हैं?

उत्तरः नमाज़ से पहले जो चीज़ें ज़रूरी हैं वह नमाज़ की शर्तें कहलाती हैं और वह सात हैं। (1) बदन का पाक होना। (2) कपड़ों का पाक (पवित्र तथा स्वच्छ) होना। (3) जगह का पाक होना। (4) सत्र (जिन अंगों का छुपाना आवश्यक है) का छिपाना। (5) फर्ज़ नमाज़ का वक़्त होना। (6) किब्ला की तरफ़ मुँह करना। (7) नीयत करना।

प्रश्नः नमाज़ की नीयत का क्या हुक्म है और वह किस तरह करनी चाहिए?

उत्तरः नमाज़ के लिए नीयत करना शर्त है बगैर नीयत के नमाज़ नहीं हो सकती नीयत दिल में इरादा करने को कहते हैं जैसे फज्र के फर्ज़ की नीयत करना हो तो दिल में नीयत करे कि मैं फज्र की फर्ज़ नमाज़ पढ़ रहा हूं अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हों तो यह भी दिल में इरादा करे कि इमाम के पीछे पढ़ रहा हूं। नीयत ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर कह ले तो अच्छी बात है अगर ज़बान से कहना है तो यूं कहे "नीयत करता हूं मैं दो रक्अत फर्ज़ नमाज़ की वक़्ते फज्र, वास्ते अल्लाह तआला के, मुँह मेरा तरफ़ काबे शरीफ़ के, पीछे इस इमाम के" इतना कहना भी काफी है "मैं फज्र की दो रकअत फर्ज़ नमाज़ इमाम के पीछे पढ़ने की नीयत करता हूं" अगर तन्हा पढ़ रहा हो तो इमाम के पीछे न कहे इसी तरह जिस वक़्त की नमाज़ हो और जितनी रकअतें हों उनका इरादा करे, सुन्नत या नफ़्ल या क़ज़ा नमाज़ें हों तो उनका इरादा करे।

प्रश्नः नमाज़ के अन्दर फर्ज़ कितने हैं?

उत्तरः नमाज़ में 6 फर्ज़ हैं।
(1) तक्बीरे तहरीमा कहना।
(2) कियाम यानी खड़े हो कर नमाज़ पढ़ना।
(3) नमाज़ में कुर्आन पढ़ना।
(4) रुकूअ करना। (5) दोनों

सज्दे करना। (6) क़अ़–दए–अ़खीरा में अत्तहीयात पढ़ने की मिक्दार बैठना, मगर तकबीरे तहरीमा शर्त है। नीयत बांधते वक़्त अल्लाहु अक्बर कहते हैं, इस तक्बीर के कहने से नमाज़ शुरुअ़ हो जाती है जो बातें नमाज़ के खिलाफ़ हैं वह हराम हो जाती हैं इस लिए इसे तक्बीरे तहरीमा कहते हैं, तक्बीरे तहरीमा ''अल्लाहु अक्बर'' ज़बान से कहना फर्ज़ है दिल में कह लेने से तक्बीरे तहरीमा अदा न होगी।

नमाज़ में खड़े होना फर्ज़ है इतनी देर तक खड़ा रहे जितनी देर में कुर्आन की फ़र्ज किराअत की जा सके। कोई मजबूरी हो तो बैठ कर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं अल्बत्ता नफ़्ल नमाज़ें पढ़ने में इख्तियार है लेकिन खड़े हो कर पढ़ेंगे तो पूरा सवाब पायेंगे। और किसी मजबूरी की बिना भी बैठ कर नफ़्ल नमाज़ पढ़ सकते हैं लेकिन सवाब आधा मिलेगा।

नमाज़ में नीयत के बाद कुछ कुर्आन पढ़ना फर्ज़ है, ज़रूरी है कि हर रकअत में सूरे फातिहा पढ़े और उसके साथ कोई सूरे मिलाये या एक बड़ी आयत मिलाये या छोटी तीन आयतें मिलाये अल्बत्ता फर्ज़ की तीसरी और चौथी रकअ़त में सूरे मिलाना ज़रूरी नहीं। अगर किसी को कुर्आन से कुछ न याद हो तो कियाम की हालत में सुबहान अल्लाह व अलहम्दुलिल्लाह व अल्लाहु अक्बर पढ़े और जल्द से जल्द सूरे फातिहा और कुछ छोटी सूरतें ज़बानी याद करे।

नमाज़ में रुकूअ़ फर्ज़ है उस का मस्नून तरीक़ा यह है कि झुक कर दोनों घुटने हाथों से पकड़ ले सर और पीठ एक सीध में रखे और कम से कम तीन बार सुब्हान रब्बीयल अज़ीम पढ़े।

नमाज़ की हर रकअत में दो सज्दे फर्ज़ हैं, रुकूअ से समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदः कहते हुए खड़ा हो और रब्बना लकल हम्द कहे फिर अल्लाहु अक्बर कह कर सज्दे में चला जाये सज्दे में नाक और पेशानी ज़मीन पर लगी हों और ज़रूरी है कि दोनों हथेलियां, दोनों घुटने और पैर के दोनों पंजे ज़मीन से लगे हों और मस्नून यह है कि कम से कम तीन बार सुब्हान रब्बियल अअ़ला पढ़े फिर अल्लाहु अक्बर कह कर ठीक से बैठ जाये फिर अल्लाहु अक्बर कह कर पहले की तरह दूसरा सज्दा करे।

क़अ़–दए–अखीरा नमाज़ में फर्ज़ है क़अ़–दए–अखीरा में इतनी देर बैठना फर्ज़ है जितनी देर में अत्तहीयात पढ़ी जा सके इसमें अत्तहीयात पढ़ना ज़रूरी है और उस के बाद मस्नून है कि दुरूद शरीफ़ पढ़े और कोई दुआए मासूरा पढ़े फिर ज़रूरी है कि सलाम पढ़ कर नमाज़ से बाहर आये।

नोट: यहां नमाज़ के अरकान (फराइज) का ज़रूरी बयान लिखा गया है, वाजिबात, सुन्नतों और मुस्तहब्बात का बयान इन्शाअल्लाह आगे किसी अंक में आयेगा।

याद रहे कि बीमारी वगैरा से रुकूअ़ और सज्दे न कर सकें तो इशारे से रुकूअ़ और सज्दे कर सकते हैं।

❖❖❖

हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फरमाया

“ऐ लोगो! मुआ़विया रज़ि० की हुकूमत को बुरा न समझो, ख़ुदा की क़सम जब वह न रहेंगे तो दुन्या में सख़्त बदअम्नी फैलेगी।” (इज़ालतुल-ख़िफ़ा)

नीज़ ह़ज़रत अली रज़ि० ने एक गश्ती फरमान के जरिये से आ़मतौर पर यह एलान किया कि अहले शाम का और हमारा ख़ुदा एक, नबी एक, अल्लाह और उसके रसूल और क़ियामत पर ईमान रखने में न वह हम से ज़ियादा न हम उन से ज़ियादा, हमारा और उनका मुआ़मला बिलकुल एक है, इख़्तिलाफ़ सिर्फ ख़ूने उस्मान रज़ि० का है। तो अल्लाह जानता है कि मैं इस ख़ून से बरी हूँ। (नहजुल-बलाग़ा)

हज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने लिखा

ह़ज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ख़त में हज़रत अ़ली रज़ि० को लिखा कि आप की बुज़ुर्गी जो इस्लाम में है और आप की जो क़राबत नबी अलैहिस्सलाम से है मैं उसका मुनकिर नहीं हूं। (शरह नहजुल बलाग़ा इब्ने मीसम)

(सीरत ख़ुलफ़ाए राशिदीन पेज 197 अज़ मौलाना मुहम्मद अब्दुश्शकूर फ़ारूक़ी रह० से ग्रहीत) ◆◇◆

हींग (हिल्तीत) के लाभ

हींग भूक लगाती, खाने को पचाती और पेट की हवा को निकालती है। इस लाभ के लिए भोजन के बाद दो चनों के बराबर हींग पानी से निगल लें।

अगर पेट में अफारा हो तो रूई को हींग और पानी में तर करके नाभी पर रखें लाभ होगा। पेट के दर्द में ज़रा सी हींग एक दो घूंट पानी में मिला कर पीने से लाभ होता है।

कीड़ा खाये हुए दाँत में दर्द हो तो खोखले दाँत में हींग भर देने से दर्द जाता रहता है। हींग थोड़े पानी में मिला कर दाद पर लगाने से दाद अच्छा हो जाता है।

हींग, भुना हुआ सुहागा, बड़ी हड़ की बकली, हर एक दस दस ग्राम बारीक पीस कर लेमू के रस में गूंध कर बड़ी मटर के बराबर गोलियां बना कर छांव में सुखा लें, यह गोलियां पेट में दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक हैं जब भी ज़रूरत हो गुनगुने पानी के साथ दो गोलियां खायें, लाभ होगा। ◆◇◆

तलाक़: औरत पर अत्याचार नहीं

—मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी

इस्लाम वास्तव में एक संपूर्ण जीवन व्यवस्था है। व्यक्तिगत, दाम्पत्य, पारिवारिक और सामाजिक, सारे पहलू तथा इनके वैचारिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, भावनात्मक तथा आर्थिक और क़ानूनी एवं न्यायिक, सारे आयाम एक दूसरे से अभाज्य रूप से संबद्ध, संलग्न और इस प्रकार अन्तर्संबन्धित हैं कि जीवन के किसी एक विशेष अंग, अंश, पक्ष या आयाम को 'समग्रता' से अलग करके नहीं समझा जा सकता। उपरोक्त भ्रम या आक्षेप, 'समग्रता' से 'अंश' को पृथक करके देखने से पैदा होते हैं।

आक्षेप का एक कारण यह भी है कि 'कुछ तत्वों' की नीति ही इस्लाम के प्रति दुराग्रह, घृणा, विरोध और दुष्प्रचार की है। दूसरा कारण यह भी है कि स्वयं मुस्लिम समाज में कुछ नादान व जाहिल लोग, तलाक़ के इस्लामी प्रावधान को कुर्आन की शिक्षाओं तथा नियमों के अनुकूल इस्तेमाल नहीं करते, जिससे स्त्री पर अत्याचार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

उनके इस कुकृत्य से, वे ग़ैर—मुस्लिम लोग, जो नादान मुसलमानों की ग़लती का शिकार हो जाने वाली औरत से सहानुभूति रखते हैं, यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि यह ग़लती इस्लाम की है, त्रुटि इस्लामी विधान में है। और मुस्लिम समामज में पाए जाने वाले इस व्यावहारिक दोष का एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारे देश के मुस्लिम समाज की उठान और संरचना उस 'इस्लामी शासन व्यवस्था' के अंतर्गत तथा उसके अधीन रह कर नहीं हो रही है (और न ही हो सकती है) जो इस्लाम के अनुयायियों के जीवन के हर क्षेत्र को पूर्ण व्यापक व नैतिक लड़ी में पिरो देता है। जहां न पत्नी पर दुष्ट पति के अत्याचार की गुंजाइश रह जाती है, न उदण्ड व नाफ़रमान पत्नियों द्वारा पतियों के शोषण की गुंजाइश। (गत कई वर्षों से हमारे देश में पत्नियों के अत्याचार से पीड़ित व प्रताड़ित पतियों के संगठन काम कर रहे हैं तथा जुलाई 2009 में, ऐसे संगठनों के हज़ारों सदस्यों का जमावड़ा राजधानी दिल्ली में हुआ था)।

तलाक़—अत्यंत नापसन्दीदा कामः—

हलाल और जायज़ कामों में सबसे ज़ियादा नापसन्दीदा और अवांछित काम इस्लाम में तलाक़ को माना गया है। दाम्पत्य—संबंध—विच्छेद (तलाक़) को इस्लाम उस अतिशय परिस्थिति में कार्यान्वित होने देता है जब दाम्पत्य संबंध इतने ज़ियादा ख़राब हो जाएं कि दम्पत्ति, संतान, परिवार और समाज के लिए अभिशाप बन जाएं। ऐसे में

इस्लाम चाहता है कि पति व पत्नी एक दूसरे से आज़ाद हो कर अपनी पसन्द का नया जीवन शुरु कर सकें। अरबी शब्द 'तलाक़' में इसी 'आज़ाद होने' का भाव निहित है।

इस्लाम इस बात को गवारा नहीं करता कि पति–पत्नी में आए दिन लड़ाई–झगड़ा, मार–पीट, गाली–गलौज का वातावरण रहे, बच्चे ख़राब हों, उनका भविष्य नष्ट हो, पति–पत्नी एक दूसरे की हत्या करें/कराएं या आत्महत्या कर लें, पति घर छोड़ कर चला जाए या पत्नी को घर से निकाल दे, परिवार अशांति व बदनामी की आग में जलता रहे लेकिन जैसा कि हमारे भारतीय समाज की दृढ़ व व्यापक परंपरा रही है, दोनों में सम्बंध–विच्छेद न हो। इस परिप्रक्ष्य में देखा जाए तो तलाक़ को 'अत्याचार' कहने वाले लोग स्वयं, इसे पति व पत्नी के लिए, विशेषतः स्त्री के लिए 'वरदान' और 'न्याय' कहेंगे कि वह एक नरक–सामन जीवन जीने पर मजबूर रहने के और पीड़ा, प्रताड़ना, अत्याचार, घुटन, कुढ़न व अशांति से ग्रस्त रहने के बजाय एक नया, शांतिमय व गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आज़ाद हो गयी। और यही विकल्प पुरुष को भी प्राप्त हो गया।

दो अतियांः–

हमारे देश में, सेक्लुर क़ानून–व्यवस्था में कुछ समय पूर्व तलाक़ का प्रावधान किये जाने से परे, मूल तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता और धार्मिक परंपरा में तलाक़ की गुंजाइश ही नहीं है। दाम्पत्य जीवन चाहे जितना असमान्य, कुंठित, समस्याग्रस्त हो जाए, पति–पत्नी के संबंधों में चाहे जितनी कटुता आ जाए, दोनों के लिए दाम्पत्य–संबंध अभिशाप बन कर रह जाए, यहां तक कि एक–दूसरे के प्रति अत्याचार, अपमान, अपराध की परिस्थिति भी बन जाए, संबंध–विच्छेद किसी हाल में भी नहीं हो सकता। औरत के पास, मायके से डोली उठने के बाद, ससुराल से अर्थी उठने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं रहता।

दूसरी तरफ़, पाश्चात्य सभ्यता में तलाक़ देना/लेना (कोर्ट के माध्यम से) इतना सरल और इतना अधिक प्रचलित है कि ज़रा–ज़रा सी बात पर तलाक़ हो जाती है। कच्चे धागे की तरह दाम्पत्य–संबंध टूट जाते/तोड़ दिये जाते हैं। 'सिंगिल पैरेंट फैमिली' का अभिशाप नन्हे–नन्हे बच्चे भी झेलते हैं और समाज भी झेलता है। पति–पत्नी दाम्पत्य जीवन की गरिमा व महत्व के प्रति संवेदनहीन होते जा रहे हैं। कुछ लोग तो पति–पत्नी ऐसे बदलते हैं जैसे मकान, लिबास और कारों के मॉडल।

संतुलित, मध्यम–मार्गः–

इस्लाम, भारतीय मूल –सभ्यता और पाश्चात्य सभ्यता की उपरोक्त दो अतियों के

बीच एक संतुलित 'मध्यम मार्ग' अपनाता है। न तलाक़ को वर्जित, अवैध, असंभव बनाता है, न खेल–खिलवाड़ की तरह आसान विशेषतः औरत पर, उपरोक्त दोनों अतियों (ज़्यादती) में जो अत्याचार और उसका जो बहुपक्षीय शोषण होता है वही आपत्तिजनक तथा आक्षेप का पात्र है, न कि इस्लाम का, तलाक़ का प्रावधान।

इस्लाम में इस बात का प्रावधान है कि पति, अत्यंत असहनीय परिस्थिति में पत्नी को तलाक़ दे सकता है और स्त्री नियमानुसार विधिवत प्रक्रिया द्वारा पति से तलाक़ प्राप्त कर सकती है। यह प्रक्रिया विस्तार के साथ शरीअत ने निश्चित व निर्धारित कर दी है। अलबत्ता स्त्री को स्वयं तलाक़ देने का अधिकार न देने में इस्लाम ने इस तथ्य का भरपूर ख़याल रखा है कि स्त्री अपने स्वभाव, मनोवृत्ति, मानसिकता व भावुकता में पुरुष से भिन्न बनाई गयी है। उसकी भावनात्मक स्थिति इतनी नाज़ुक होती है कि वह बहुत जल्द अत्यंत भावुक हो उठती है। जिस प्रतिकूल एवं कठिन व असहाय परिस्थिति में पुरुष आत्मसंयम व आत्म– नियंत्रण द्वारा तलाक़ देने से रुका रहता है, संभावना रहती है कि वैसी ही परिस्थिति में स्त्री का आत्म–बल उसकी भावुकता व क्रोध से हार जाए और वह तलाक़ दे बैठे। इसे पाश्चात्य समाज ने सही भी साबित कर दिया है। अपनी पसन्द का चैनल देखने पर आग्रह करने वाली पत्नी ने अपनी पसन्द का चैनल देखने पर आग्रह करने वाले पति से रिमोट कंट्रोल न पा कर गुस्से में तलाक़ ले लिया। पति के खर्राटों से रात को नींद न आने पर परेशान और क्रोधित पत्नी ने तलाक़ ले लिया। ब्वाय–फ्रेंड के साथ मनोरंजन करने पर पति द्वारा एतिराज़ किये जीने पर पत्नी ने भावुक व क्रोधित हो कर तलाक़ ले लिया। पति की किसी बात से अत्यधिक कष्ट या उसके किसी व्यवहार से अपमानित महसूस करके या किसी घरेलू झगड़े में भावुक हो कर बिना बहुत दूर तक, बहुत आगे की सोचे, (पति के द्वारा तलाक़ देने की तुलना में) पत्नी द्वरा तलाक़ दे देना अधिक संभावित होता है।

इसी वजह से इस्लाम स्त्रिी को तलाक़ लेने का अधिकार तो देता है, तलाक़ देने का अधिकार नहीं देता। तलाक़ लेने की प्रक्रिया में इस्लामी शरीअत कुछ और लोगों को भी दोनों के बीच में डालती है और विधि के अनुसार कुछ समय तक समझाने–बुझाने की प्रक्रिया जारी रखने के बाद यदि विश्वास हो जाता है कि संबंध विच्छेद हो जाना ही औरत के लिए भलाई व न्याय का तक़ाज़ा है तो शरीअत उसे तलाक़ दिला कर पति से आज़ाद करा

देती है। इस प्रक्रिया को शरीअत की परिभाषा में 'ख़ुलअ़' कहा जाता है।

तलाक़शुदा औरत के प्रति सहानुभूतिः–

तलाक़ पर आपत्ति करने का एक सकारात्मक कारण भी है कि लोग तलाक़शुदा औरत से सहानुभूति रखते हैं लेकिन चूंकि वे उसके बारे में इस्लाम की पारिवारिक तथा सामाजिक व्यवस्था को जानते नहीं, इसलिए समझते हैं कि ऐसी अबला औरत को कोई पूछने वाला, सहारा देने वाला नहीं है इसलिए तलाक़ उस पर साक्षात अत्याचार, शोषण और अन्याय है। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस्लाम उसे बेसहारा, अबला और दयनीय बना कर नहीं छोड़ता, उसने उसके लिए कई प्रावधान, कई स्तरों पर किए हैं, जैसे–

1. विवाह के समय ही इस्लाम, पत्नी को पति से स्त्री धन (महर) दिलाता है। इस धन पर उसके पति या ससुराली नातेदारों का ज़रा भी हक़ नहीं होता, वह स्वयं उसकी मालिक होती है, कठिन व प्रतिकूल परिस्थिति में (जैसे तलाक़ के बाद) यह धन उसका सहारा बनता है।

2. विवाह के समय या दाम्पत्य जीवन में पति जो कुछ भी धन, गहने, सामग्री, संपत्ति पत्नी को देता है, तलाक़ होने पर उससे वापस नहीं ले सकता।

3. तलाक़ के बाद स्त्री वापस अपने मायके की ज़िम्मेदारी में चली जाती है। वहां माता–पिता या भाइयों पर उसकी आजीविका तथा भरण–पोषण की ज़िम्मेदारी लागू हो जाती है। वह बेसहारा नहीं रह जाती।

4. मायके में पहुंच कर यदि तलाक़शुदा औरत दूसरा विवाह करना चाहे तो मायके वालों को न सिर्फ़ यह कि उसे इससे रोकने या पुनर्विवाह में रोड़े अटकाने का अधिकार नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से उनका कर्तव्य है कि उसकी पसन्द का रिश्ता ढूंढ़ कर उसकी शादी कराएं उसका नया घर बसा दें।

5. औरत का उसके मृत माता–पिता के धन–संपत्ति में शरीअत ने निर्धारित हिस्सा रखा है। माता–पिता की छोड़ी हुई दौलत, मकान, जायदाद, फैक्ट्री, कारोबार, ज़मीन, कृषि–भूमि आदि में उसका हिस्सा कुरआन में सविस्तार निर्धारित कर दिया गया है। (4:11,12,176)। इस निर्धारण को कुरआन ने ''अल्लाह की सीमाएं' (हुदूद–उल्लाह) कहा है जिसके अन्दर न रहने वालों को हमेशा के लिए नरक में जलने की घोर चेतावनी दी गयी है (4:14)। इसी तरह भाइयों और कुछ अन्य रिश्तेदारों के धन–संपत्ति में भी उसे हिस्सा दिया गया है। तलाक़शुदा औरत पुनर्विवाह कर ले तब भी और न करे तब भी वह हिस्से पाने की अधिकारी बनाई गयी है।

6. सामन्यतः कोई कुंवारा व्यक्ति किसी तलाक़शुदा स्त्री से शादी नहीं करता। इन्सानी प्रकृति के रचयिता ईश्वर ने इसी बात का ख़याल रखते हुए शरीअत में बहु–पत्नीत्व की गुंजाइश रखी है ताकि तलाक़शुदा औरतों को लोग दूसरी (या अतिविशिष्ट परिस्थितियों में तीसरी, चौथी) पत्नी बना कर उनका सहारा बन जाएं।

इतने प्रावधानों के साये में 'तलाक़' औरत के लिए अत्याचार व अभिशाप नहीं बन पाता। हां मुस्लिम समाज में नादानी, अज्ञानता के कारण पाई जाने वाली कुछ कमियों के कारण से कुछ मामलों में तलाक़शुदा औरत को कुछ कठिनाइयां अवश्य पेश आती हैं लेकिन ख़ुदा का ख़ौफ़ (परलोक की सज़ा का डर), इस्लामी नैतिकता, परिवार और समाज का दबाव आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो ऐसी औरत को सहारा उपलब्ध कराते रहते हैं। दूसरी तरफ़ मुस्लिम समाज में कुर्आन, हदीस, शरीअत और नैतिकता के हवालों से शिक्षा व चर्चा हमेशा जारी रहती है, समाज –सुधार के प्रयत्न बराबर होते रहते हैं।

परिणामस्वरूप अज्ञान व जिहालत का स्तर निरंतर नीचे गिरता रहता है और तलाक़शुदा औरत की उस तथाकथित दुर्दशा की स्थिति मुस्लिम समाज में बनने नहीं पाती जिसका बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार किया जाता या जिसको एक मुद्दा बना कर रह–रह कर इस्लाम पर आक्षेप किया जाता, मुस्लिम समाज पर ''तलाक़'' के अत्याचार व अभिशाप होने का आरोप लगाया जाता, इस्लाम के प्रति घृणा का वातावरण बनाया जाता है। या सीधे–सादे देशवंधुओं में अज्ञानवश 'तलाक़– इस्लाम –मुस्लिम समाज' के हवाले से ग़लतफ़हमियां पायी जाने लगती हैं।

(कान्ति सितम्बर 2018 से ग्रहीत)

❖❖❖

इलेक्शन

–नोमान जौरासी

है इलेक्शन का ज़माना आने वाला दोस्तो
आयेगा हर रोज़ कोई मिलने वाला दोस्तो
क़ौम का ख़ादिम वह अपने को बतायेगा तुम्हें
अपनी मीठी–मीठी बातों से रिझाये गा तुम्हें
हूं मसीहा क़ौम का मैं ही तुम्हें समझाये गा
औरों को तो क़ौम का दुश्मन तुम्हें बतलाये गा
उनकी चुपड़ी बातों से धोका न खाना दोस्तो
झूटों के बहकावे में हरगिज़ न आना दोस्तो
ख़ूँ बहाने वाले दर्से आश्ती दुहराएंगे
क़ौम के क़ातिल वह, अब तो रहनुमा बन जायें गे
दावा करने वालों से हरगिज़ न धोका खाइये
उनका माज़ी देख कर ही फ़ैसला फ़रमाइये
वोट तो है क़ीमती उसको न ज़ाए कीजिए
जिस को बेहतर जानिये बस वोट उस को दीजिए

◆◇◆

जंगे सिफ़्फ़ीन

जंगे सिफ़्फ़ीन जिस में एक जानिब हज़रत अ़ली मुर्तज़ा रज़ि० और दूसरी तरफ़ हज़रत मुआ़विया रज़ि० थे। इस लड़ाई के मुतअल्लिक़ अहले सुन्नत का फैसला ये है कि हज़रत अली मुरतज़ा रज़ि० ख़ली-फए-बरहक थे और हज़रत मुआ़विया रज़ि और उनके साथ वाले बाग़ी और ख़ाती, मगर इस ख़ता पर उनको बुरा कहना जाइज़ नहीं, क्योंकि वह भी सहाबी हैं साहिबे फज़ाइल हैं, और उनकी यह ख़ता गलत फहमी की वजह से थी और ग़लत फहमी के असबाब मौजूद थे, ऐसी ख़ता को खताए इजतिहादी कहते हैं जिस पर अ़कलन व शरअ़न किसी तरह मुआख़ज़ह नहीं हो सकता।

हज़रत शैख़ वलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह० इज़ालतुल खिफा में फरमाते हैं, तर्जुमा- "जानना चाहिए कि मुआ़विया बिन अबी सुफयान रज़ि० आंहज़रत सल्ललहु अलैहि व सल्लम के एक सहाबी थे, और जुम-रए-सहाबा में बड़ी फ़ज़ीलत वाले थे, खबरदार उनके हक़ में बदगुमानी न करना और उनकी बदगोई में पड़ कर फेले हराम के मुर्तकिब न बनना"।

हज़रत मुआ़विया रज़ि० इबतिदाअन तो बाग़ी थे मगर हसन इब्ने अ़ली रज़ि० की सुल्ह व बैअ़त के बाद वह बिला शुब्हा खली-फए-बरहक़ हो गए।

(सीरत खुलफा-ए-राशिदीन पेज 12, अज़ हज़रत मौलाना मुहम्मद अब्दुश्शकूर फारूक़ी रह०)

कातिबे वह्यी ....

और मेरे बाद तुम को दूसरे बादशाहों का तजरिबा हो जाएगा"।

हज़रत मुआविया रज़ि0 के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चन्द मूए मुबारक (पवित्र बाल) थे उन्होंने वसीयत की थी कि उन बालों को उनके मरने के बाद उनकी नाक के अन्दर रख दिया जाये। (इजालतुल-खिफा अज शाह वलीयुल्लाह रह0 146,147)

वह खिलाफत के बाज़ ऐसे उसूल (नियमों) व मक़ासिद से वाक़िफ़ थे, जिन को वह अमल में न ला सके इसलिए कि जमाना बदल चुका था और हालात व माहौल के तकाज़े, मम्लकत की वुसअ़त (शासन के फैलाव) जिम्मेदारियों की कसरत, वक़्ती मसाइल की मुशकिलात और सरबराहे हुकूमत की नाजुक ज़िम्मेदारियों (उनके नज़दीक) उस की मुतहम्मिल (सहनशील) न थीं, जो लोग उन गहरी और वसीअ़ तब्दीलियों और ज़माने के अज़ीम फर्क़ से वाक़िफ हैं वह उनको किसी हद तक माजूर करार देंगे, और फैसला करते वक़्त हालात और माहौल की तब्दीली को नज़र में रखेंगे।

(इजालतुल-खिफाः 148,152)
(तामीरे हयात 10 अक्तूबर 2018 से ग्रहीत)

❖❖❖

सद्रे तुर्किस्तान रजब तय्यिब अर्दगान

–मौलाना सय्यिद इनायतुल्लाह नदवी –हिन्दीः हुसैन अहमद

तुर्की के सन् 2002 ई0 के हुए इन्तिख़ाबात (चुनाव) में रजब तय्यिब अर्दगान भारी अकसरीयत के साथ जीत कर प्रधान मंत्री चुने गए, फिर सन 2007 ई0 और सन् 2011 ई0 के चुनाव में लगातार दूसरी और तीसरी बार प्रधान मंत्री चुने गए, सन् 2014 ई0 में बराहे रास्त अवामी वोटों (जन मतों) से अध्यक्ष चुन लिए गए, फिर अवामी रेफ्रेन्डम से मुल्क की पार्लिमानी निज़ामें हुकूमत (शासन व्यवस्था को सदारती निज़ामे हुकूमत (राष्ट्रपति शासन वयवस्था) में परिवर्तित कर दिया, विधान में परिवर्तन करके सद्र (राष्ट्रपति) के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई और प्रधान मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया, 16 जुलाई 2016 ई0 को सेना ने उनके शासन का तख्ता पलटने का प्रयास किया, जिसे जन्ता तथा पुलिस ने मिल कर विफल कर दिया, फिर 24 जून 2018 ई0 को पार्लिमानी और सदारती (राष्ट्रपति संबन्धी) चुनाव कराए गए, जिनमें रजब तय्यिब अर्दगान ने 52 प्रतिशत से अधिक मत ले कर भारी सफलता प्राप्त की और 10 जुलाई 2018 ई0 को उन्होंने सम्पूर्ण अधिकारी राष्ट्रपति के पद की शपथ ली।

हम सब तय्यिब अर्दगान की सफलता से अत्यन्त प्रसन्न हैं उनको और पूरी तुर्क क़ौम को बधाई देते हैं और अल्लाह तलाआ से प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह तआला अर्दगान को स्वास्थ्य के साथ जीवित तथा सुरक्षित रखे, मुल्क व मिल्लत (देश तथा मुस्लिम समुदाय) और इस्लाम की सेवा का अच्छे से अच्छा अवसर प्रदान करे, और उनको आन्तरिक तथा वाह्य शत्रुओं षडयंत्रों तथा ज़ोड़ तोड़ से सुरक्षित रखे।

बहुत दिनों के बाद इस्लामिक जगत को ऐसा नेता, पथ प्रदर्शक मिला है जो इस्लाम और मुसलमानों के लिए अतयंत हितैषी होने के साथ साथ सोच विचार, कूट नीति और राजनीति में अनुपम है एवं साहस तथा वीरता में भी कोई उन जैसा नहीं, वह केवल खोखले नारे लगाने वाला और कथन का वीर नहीं है, अपितु ठोस कार्मिक उच्च चरित्र का वीर है जिसने अपने भले कर्मो द्वारा अपनी नेतृत्व योगयता सिद्ध कर दी, तुर्की में जो यह आंतरिक परिवर्तन आया उसके पीछे एक इस्लामिक महापुरुष शैख बदीउज़्ज़मा सईद नवरसी रह0 की निरंतर प्रयासों का हाथ है, जिन्होंने अतयंत कूटनीति के साथ तुर्की के समाज को शत प्रतिशत अधर्मी होने से बचाया, उन्होंने तुर्की के अन्दर मुस्तफा कमाल के अधर्मी तौर तरीक़े का उसी तरह मुक़ाबला किया जिस तरह शैख अहमद सरहिन्दी ने हिन्दोस्तान में अक्बर के

धर्म विरोधी विचारों का किया था, नोरसी ने 130 किताबें ''रसाइले नूर'' के नाम से तहरीर कर के तुर्की के कोने कोने में पहुंचाया, इन रसाइल (पुस्तिकाओं) में कुर्आन पाक की विभिन्न आयतों के एजाज़ी पहलुओं (अलौकिक कृतियों) को अच्छी भाषा में उजागर किया गया है, कि कोई व्यक्ति उन का एक रिसाला (पुस्तिका) भी पढ़ता है तो वह प्रभावित हुए बिना नहीं रहता।

शैख नोरसी ने अपने रसाइल द्वारा तुर्क कौम के दिलों में मौजूद इस्लाम, नबीये इस्लाम, कुर्आन और कुर्आनी तालीमात से महब्बत व तअल्लुक़ के जज़्बे (भावना) को यही नहीं कि बाक़ी रखा अपितु उसमें अत्यधिक वृद्धि कर दी, इस काम पर उन्हें काफी हिरासां किया गया (डराया गया) और दूर दराज़ गोशों (किनारों) में भेज दिया गया, लेकिन वह जहां रहते अपने काम को जारी रखते, वह अपने मिशन में सफल रहे।

कुछ तुर्क क़ौम के विषय में:–

अब से बहुत पहले सन् 712 ई0 में जब तुर्किस्तान इस्लामी मम्लकत (इस्लामिक शासन) का हिस्सा बना था तो उमवी खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सन् 718 ई0 में तुर्क सरदारों और बादशाहों को इस्लाम की दावत दी, उनमें से कुछ इस्लाम लाए, फिर अब्दुल्लाह बिन मुअम्मर यशकरी को इस्लाम की दावत के लिए इस इलाक़े में भेजा, उनके प्रयासों से कुछ तुर्क क़बीले मुसलमान हो गए, फिर खलीफा हिशाम के दौर में अबू सैदा की तब्लीग से सन् 730 ई0 में कसरत से तुर्क क़बीलों ने इस्लाम स्वीकार किया, फिर अब्बासी काल में खलीफा मन्सूर ने सन् 760 ई0 में मुसलमान तुर्कों को फौज में भरती करना शुरु किया। खलीफा मोतसिम (मुअ़त्सिम) ने सन् 833 ई0 में पचास हज़ार तुर्कों को इस्लामी तालीम और फौजी तरबियत (सैनिक प्रशिक्षण) दे कर सेना में ले लिया। सन् 836 ई0 में सामरह के नाम से एक नगर बसाया, वहीं उन तुर्कों को बसाया, सन् 904 ई0 में तुर्क सरदारों और अमीरों ने इस्लाम स्वीकार करना आरंभ किया, सन् 960 ई0 में तुर्क क़ौम के दो लाख परिवारों ने एक साथ इस्लाम स्वीकार किया, सन् 992 ई0 तक सारे तुर्क निवासी इस्लाम में दाख़िल हो गए।

जब अरबों में पतन आया तो इन्हीं तुर्कों ने इस्लाम की सेवा की और मुसलमानों का राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक नेतृत्व अर्जित किया, सलाजिक़ा और ख्वारज़्म शासन इन्हीं तुर्कों की स्थापित की हुई थीं, तत्पश्चात जब अरब पूर्णता शिथिलता का शिकार हो गए तो यही वह तुर्क थे जिन्होंने इस्लाम की सुरक्षा और उसके प्रसारण का महत्वपूर्ण कार्य किया। सन् 1250 ई0 में एक तुर्की गुलाम ''अज़्ज़ुद्दीन ऐबक'' ने मिस्र व शाम में तुर्क मम्लूकों

(गुलामों) की हुकूमत ऐसे वक़्त में काइम की, जब कि इस्लाम पर दो ओर से आक्रमण हो रहे थे। पश्चिम की ओर से होने वाले सलीबी आक्रमणों की कमर यद्यपि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तोड़ दी थीं और सलीबियों से बैतुलमक़्दिस वापस ले लिया था परन्तु शाम के समुद्री तटों पर पांच सलीबी रियासतें अब भी मौजूद थीं जो अपनी शक्ति बढ़ा कर बैतुल मक़्दिस पर पुनः अधिकार प्राप्त कर सकती थीं दूसरी ओर पूरब से तातारियों का शक्ति शाली तूफान टिड्डी दल की भांति बढ़ता चला आ रहा था, जो इस्लाम के लिए बड़ी आशंका बन गया था। सन् 1258 ई0 में तातारियों ने बगदादा पर आक्रमण कर के अब्बासिया खिलाफत का अन्त ही कर डाला, फिर इस सफलता से साहस पा कर वह शाम की ओर बढ़े, यही वह तुर्क शासक थे जिन्होंने तातारियों के बढ़ते हुए तूफ़ान को रोका, सन् 1260 ई0 में तुर्कों ने ''ऐने जालूत'' के स्थान पर हलाकू को प्राजित करके पीछे हटने पर विवश कर दिया और तातारियों के प्राजित न होने की कल्पना ही को बदल डाला।

उन मम्लूक तुर्क शासकों का दूसरा बहुत बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने सलीबी अधिकार वाले राज्यों को शाम के समुद्री तट से निकाल बाहर किया जहां वह लगभग दो सौ वर्षों से जमे हुए थे, उन का इरादा शक्ति प्राप्त करके बैतुल मक्दिस पर पुनः अधिकार प्राप्त करने का था, अतः सन् 1268 ई0 में मम्लूक तुर्क सुल्तान जाहिर बैबर्स ने अनताकिया की सलीबी रियासत का अन्त कर दिया, फिर दूसरा मम्लूक सुल्तान क़लाउन ने सन् 1290 ई0 में तीन सलीबी रियासतों हिस्नुल मुरक़ब, तराबलस और तरतूस का खातिमा कर दिया जब कि उसके बेटे अल–मलिकुल अशरफ खलील ने सन् 1291 ई0 में रियासत अक्का पर कब्ज़ा कर के सलीबी जंगों के सिलसिले की कमर तोड़ दी।

मम्लूक तुर्कों का शासन मिस्र व शाम में सन 1517 ई0 तक ढाई सौ वर्षों से अधिक तक रहा, तुर्क मुसलमानों का दूसरा विशाल शासन उपमहाद्वीप (बर्रे सगीर) में स्थापित हुआ, जब एक तुर्क शासक सुल्तान शिहाबुद्दीन गौरी ने सन् 1192 ई0 में राजा पृथ्वीराज को पराजित कर देहली पर विजय प्राप्त कर ली और हिन्दोस्तान में इस्लामी शासन की नींव डाल दी। और अपने एक ग़ुलाम क़ुत्बुद्दीन ऐबक को देहली के तख्त पर बैठा कर वापस चला गया। शिहाबुद्दीन गौरी का स्थापित किया हुआ यह शासन गुलाम वंश का शासन कहलाता है, हिन्दोस्तान में ग़ुलामों का शासन सौ वर्षों तक रहा, इस शासन का क्षेत्र काबुल

शेष पृष्ठ....40 पर

ع वाले उर्दू शब्द हिन्दी लिपि में

—इदारा

ع हिन्दी में लिखने के लिए अ के नीचे बिन्दी रखी जाती है, ''अ'' यह तो लिखने का रूप हुआ, परन्तु इसका उच्चारण सीखना इससे अधिक आवश्यक है ع छे ह़ल्क़ी (कंठी) अक्षरों में से एक है पर इस का उच्चारण लिख कर नहीं सिखाया जा सकता, जानकार से सीखना आवश्यक है।

ध्वनि के अनुरूप हिन्दी अक्षरों के 12 रूप बताए गए हैं जैसः— क, का, कि, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कं, कः इन रूपों में अक्षर का वास्तविक रूप हर ध्वनि में बाक़ी रहता है परन्तु अ के 12 रूपों में छे रूपों में अ की शक्ल बदल जाती है। जैसे—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः,

ع वाले वह उर्दू शब्द जिन में हिन्दी में अ की शक्ल बाक़ी रहती है उनका हिन्दी में लिखना सरल है जैसे— अ़लम (झण्डा), आ़लम (संसार), औ़रत (स्त्री), अं़बर (एक सुगंध), ''ओ़'' से उर्दू में कोई शब्द नहीं आता।

عیب، عود، عثمان، عید،علم

लिखने में ع ज़ाहिर करना कठिन है। इनको इस प्रकार लिखते हैं—

इल्म, ईद, उस्मान, ऊद, ऐब आदि। इस इम्ला में ع ज़ाहिर नहीं होता परन्तु हिन्दी में यही लिखावट प्रचलित है।

इन शब्दों में ع ज़ाहिर करने के लिए दो शक्लें हैं—

पहली शक्ल यह है कि इन अक्षरों के नीचे भी बिंदी लगाई जाए जैसे—

इ़ल्म, ई़द, उ़स्मान, ऊ़द, ऐ़ब। दूसरी शक्ल यह है कि इन को भी अ़ में मात्राएं लगा कर लिखा जाए जैसे— अ़िल्म, अ़ीद, अ़ुस्मान, अ़ूद, अ़ैब आदि यद्यपि यह रूप प्रचलित नहीं है परन्तु ع ज़ाहिर करने के लिए यह अत्यन्त शुद्ध हैं, लेकिन जब तक यह रूप रवाज न पा जाएं इल्म, ईद, उस्मान और ऊद और ऐब को स्वीकार करना पड़ेगा।

सबसे बड़ी समस्या ع साकिन की है, ع साकिन (गतिहीन) की तो हिन्दी में कल्पना भी नहीं है।

ع साकिन की दो शक्लें हैं, बीच शब्द में ع साकिन शब्द के अन्त में ع साकिन।

शब्दों के बीच में साकिन जैसेः—

وعظ،بعض، نعت، بعد

पहले तो बीच शब्द में ع साकिन का उच्चारण सीखना आवश्यक है, जब तक उच्चारण शुद्ध न होगा लिखावट समझ में न आएगी। बीच शब्द के ع साकिन के लिए अ़ में हलन्त लगाना चाहिए जैसे— बअ़्द, बअ़्ज़्, नअ़्त, वअ़्ज़ आदि।

परन्तु इन शब्दों को हिन्दी वाले इस प्रकार लिखते हैं— बाद, बाज़, नात, वाज़ आदि

इन में ع ज़ाहिर नहीं होता, ऐसे शब्दों में जिनका सम्बन्ध दीन से है जैसे—

नअ़त, वअ़ज़ आदि इन में तो "अ़" लिखना अनिवार्य जानें अलबत्ता जो साधारण शब्द हैं जैसे— बाद, बाज़ उनको उपेक्षित कर के स्वीकार किया जा सकता है।

शब्द के अन्त में ع जैसेः— شروع ، رکوع، نافع،جامع आदि इनको साधारणतः इस प्रकार लिखते हैंः— जामे, नाफ़े, शुरु, रुकू आदि। इस लिखावट में आखिर " ع " ज़ाहिर नहीं होता, ऐसे शब्दों में भी जिन शब्दों का दीन से सम्बन्ध है जैसेः—

اجماع، فروع، رکوع

आदि। इनमें ع ज़ाहिर करना अनिवार्य जानें और इस प्रकार लिखें— रुकूअ़, फ़ुरूअ़, इज्माअ़ आदि।

परन्तु जो साधारण शब्द हैं जैसेः—

شروع ، نافع،جامع

इनको अगर इस प्रकार लिखा जाए जैसेः— जामे, नाफे, शुरु आदि तो इसको सहन किया जा सकता है।

परन्तु शुद्ध यही है कि इनके अन्त में भी अ़ लिखा जाए जैसेः— जामेअ़, नाफेअ़, शुरुअ़ आदि।

हिन्दी वाले कुछ शब्दों में "अ़" को "य" से बदल देते हैं जैसे— वाक़िया, ज़रिया, आदि यद्यपि यह इम्ला हिन्दी में प्रचलित है और दूसरों के लिखे को हम भी सहन कर लेते हैं। परन्तु हम स्वयं शुद्ध इम्ला वाक़िआ, ज़रिआ आदि लिखते हैं। लेकिन कुछ लोग हम से कहते हैं कि शुद्ध अशुद्ध छोड़ो "चलो तुम उधर को हवा हो जिधर को "।

❖❖❖

एक नवीन पुस्तिका

फ़न्ने हदीस में अल्लामा मो0 ताहिर पट्नी का भारत में महत्वपूण योगदान

–: मिलने का पता :–

जामिअतुन्नूर रख्तावाड़ा पट्टन गुजरात—384265

सद्र तुर्किस्तान रजब.........

से ढाका तक फैला हुआ था, गुलामों के पश्चात खिल्जियों और तुगलकों के शासन उपमहाद्वीप में स्थापित हुए। यह दोनों खानदान भी तुर्क वंश के हैं। इस प्रकार सन् 1192 से लेकर सन् 1412 ई0, दो सौ बीस वर्षों तक तुर्क शासकों ने हिन्दोस्तान पर इस्लाम का प्रचम लहराया और इस्लाम का परिचय कराया।

आज फिर तुर्क क़ौम इस्लाम की खिदमत के लिए रजब तय्यिब अर्दगान के नेतृत्व में आगे आ रही है, ऐसे समय में जब कि इस्लाम और मुसलमानों पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं। हम उन का स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तआला उन के साहस में अधिक से अधिक बल पैदा करे और उनके साहस को प्रकाश वान करे और हर प्रकार से उनकी सुरक्षा करे। आमीन!

❖❖❖

Nadwatul Ulama
P.O. Box No. 93, Tagore Marg,
Lucknow - 226007 (India)

ندوة العلماء
ص.ب. ۹۳/۰، تیغور مارغ،
لکناؤ-۲۲۶۰۰۷ یوبی (الهند)

*Date*_________ _________التاریخ

09/09/2018 ۲۸/ذی الحجہ ۱۴۳۹ھ

باسمہ تعالیٰ

अपील बराए तामीर जदीद हास्टल

अल्लाह तआला का शुक्र है कि दारूल उलूम नदवतुल उलमा हजरत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी की संरक्षता में अपनी इल्मी व दीनी खिदमत में लगा हुआ है, दारूल उलूम में इल्मे दीन के तालिब इल्मों की अधिकता के कारण रिहाइश (निवास स्थान) की बड़ी समस्या हो गई, जिसकी वजह से तालिब इल्मों के दाखिले सीमित करने पड़ते हैं, और नये तालिब इल्मों की एक बड़ी संख्या मायूस होकर वापस हो जाती है। इस सूरतेहाल को देख कर नदवतुल उलमा की प्रबंधक कमेटी ने नये छात्रावास के निर्माण का निर्णय लिया है, जिसका संगे बुन्याद हज़रत मौलाना सैयद मुहम्मद राबे हसनी नदवी दामत बरकातुहुम के दस्ते मुबारक से रखा जा चुका है, और अल्लाह की मदद के भरोसे पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

इस नये छात्रावास में जो तीन मन्ज़िला होगा, 36 कमरे और 2 हाल होंगे, ताकि तालिब इल्मों की रिहाइश (निवास) के साथ दूसरी शिक्षा संबन्धित ज़रूरतें पूरी हो सकें और वह संतुष्टि होकर शिक्षा प्राप्त कर सकें।

इस निर्माण कार्य पर 3,61,74,600 (तीन करोड़, एक्सठ लाख, चौहत्तर हज़ार, छः सौ) रूपये, और एक कमरे पर लगभग साढ़े चार लाख रूपये के खर्च का अन्दाज़ा है, जो इन्शाअल्लाह अहले खैर के तआवुन (सहयोग) से पूरा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण कार्य की ओर अवश्य ध्यान देंगे और नदवतुल उलमा के कार्यकर्ताओं का हाथ बटाएंगे।

हमें अल्लाह तआला पर भरोसा है कि उसकी मदद से यह अहम काम पूर्ति को पहुंचेगा।

मौ0 मु0 वाज़ेह रशीद नदवी
(मोतमद तअलीम, नदवतुल उलमा)

प्रो0 अतहर हुसैन
(मोतमद माल, नदवतुल उलमा)

मौ0 सईदुररहमान आज़मी नदवी
(मोहतमिम दारूलउलूम, नदवतुल उलमा)

चेक / ड्राफ्ट पर सिर्फ यह लिखें।

NADWATUL ULAMA
A/C NO. 10863759733 (IFSC CODE - SBIN0000125)
(State Bank of India Main Branch, Lucknow.)

और इस पते पर भेजें।

NIZAMAT OFFICE, NADWATUL ULAMA,
P.O. BOX NO. 93, TAGORE MARG,
LUCKNOW - 226007 (U.P.)

Phone: +91-522-2741316, Guest House: 2740141, Fax: 2741023
e-mail: nadwa@sancharnet.in, website: www.nadwatululama.org

उर्दू सीखये

हिन्दी जुम्लों की मदद से उर्दू जुम्ले पढ़ये

अलम मअ़्ना दर्द और अ़लम झण्डे को कहते हैं।
اَلم معنٰی درداور علم جھنڈے کو کہتے ہیں۔
तीर चलाने का तरीक़ा सीखो।
تیر چلانے کا طریقہ سیکھو۔
जाहिलों की तरह़ ज़िद मत करो।
جاہلوں کی طرح ضدمت کرو۔
अल्लाह के ज़िक्र से ज़बान तर रखो।
اللہ کے ذکر سے زبان تر رکھو۔
जुल्म से बचो, जुल्म बड़ा गुनाह है।
ظلم سے بچو، ظلم بڑا گناہ ہے۔
सालिम के सुबूत को साबिर ने मान लिया।
سالم کے ثبوت کو صابر نے مان لیا۔
ग़ल्ला मअ़्ना अनाज और गल्ला मअ़्ना जानवरों का गुरोह।
غلّہ معنٰی اناج اور گلّہ معنٰی جانوروں کا گروہ۔
फ़न मअ़्ना हुनर और फन गुस्से में फैलाए हुए सांप के सर को कहते हैं।
فن معنٰی ہنر اور پھن غصّہ میں پھیلائے ہوئے سانپ کے سر کو کہتے ہیں۔
क़मर मअ़्ना चाँद और कमर जिस्म के बीच के हिस्से को कहते हैं।
قمر معنٰی چانداور کمر جسم کے بیچ کے حصّے کو کہتے ہیں۔
ख़ार मअ़्ना काँटा और खार नम्कीन को कहते हैं।
خار معنٰی کانٹا اور کھار نمکین کو کہتے ہیں۔
ह़ाजी मअ़्ना हज करने वाला, हाजी मअ़्ना गाली देने वाला
حاجی معنٰی حج کرنے والا، ہاجی معنٰی گالی دینے والا۔